आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

दिसंबर 2025

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

- मंथन का मौक़ा
- मानवाधिकारों की इस्लामी परिकल्पना
- यूडीएचआर और यूडीआईएचआर



مستشفیٰ الشفاء

alshifa®

MULTI SPECIALITY HOSPITAL



human welfare trust | VISION 2026®

Creating Partnership with the needy

SCOPE OF SERVICES

- GENERAL MEDICINE
- CARDIOLOGY
- OBSTETRICS & GYNAECOLOGY
- PAEDIATRICS & NEONATOLOGY
- PULMONOLOGY (CHEST & T.B.)
- NEPHROLOGY & DIALYSIS
- GENERAL & LAPAROSCOPIC SURGERY
- NEUROLOGY & NEUROSURGERY
- GASTROENTEROLOGY
- GASTRO SURGERY
- PLASTIC SURGERY & BURNS
- VASCULAR SURGERY
- ORTHOPEDICS
- DERMATOLOGY (SKIN & VD)
- DIABETIC & THYROID CARE
- ENT (EAR, NOSE & THROAT)
- UROLOGY
- PSYCHIATRY
- CLINICAL PSYCHOLOGY
- OPHTHALMOLOGY (EYE)
- DENTISTRY
- ANESTHESIA & PAIN MANAGEMENT
- ONCOLOGY
- DIETETICS & NUTRITION
- PHYSIOTHERAPY
- RADIOLOGY
- BLOOD STORAGE CENTER

24/7 EMERGENCY SERVICES

ALSHIFA

MULTI-SPECIALITY HOSPITAL

D-305, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi

011 41513520, 41513530, 42175350, 98188 44498

- EMERGENCY & TRAUMA CARE
- ICU & NICU
- PHARMACY
- DIGITAL X-RAY
- CT SCAN (32 SLICE)
- FULLY AUTOMATED COMPUT. LABORATORY
- ACLS/BLS AMBULANCE

प्रधान संपादक
डॉ. फ़रहत हुसैन
kantieditorial@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु० एक वर्ष 350/- रु०
पांच वर्ष 1500/- रु० आजीवन रु० 5000/
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रिदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न०
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025
चेक / ड्राफ़्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत
ट्रस्ट (रजि०), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
Printer : Akhilesh Singh
Press : AARYA PRINTERS
201, Ground Floor, DSIDC Complex
Okhla Industrial Area phase-1,
New Delhi-110020
Editor : Shibli Arsalan

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

विचार सौरभ

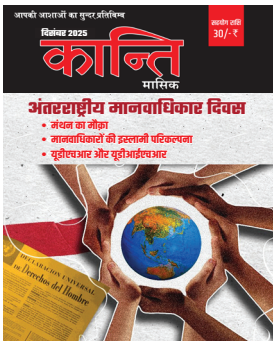
डॉ० कौसर यज़दानी नदवी

अमानत की रक्षा

उड़ीसा में एक बार भयानक बाढ़ आई गांधी जी ने डा० विश्वेश्वरैया को लिखा
'उड़ीसा जाइए,
वहां बाढ़ रोकने की योजना बनाइए।'
पत्र मिला, तो विश्वेश्वरैया को चैन कहां ?
तुरन्त उड़ीसा के लिए रवाना हो गए।
बाढ़ का निरीक्षण किया, योजना बनाई, सरकार को दे दी।
फिर वापस लौट आए।
कुछ दिनों बाद
उड़ीसा सरकार ने उनके नाम एक चेक भेज दिया, पारिश्रमिक के रूप में, चेक पाकर हतप्रभ रह गए, वह, सोचने लगे, मुझे तो गांधी जी का आदेश मिला था, इसलिए चला गया था, यह कोई सरकारी कार्य तो था नहीं,
इसलिए मैं सरकारी रुपये का हक़दार भी नहीं, यही बात उन्होंने उड़ीसा सरकार को लिख दी और चेक वापस कर दिया,
विश्वेश्वरैया को "राजर्षि" की उपाधि मिली थी,
शायद उनकी इन्हीं शुद्ध भावनाओं के कारण।
इन भावनाओं का रुख़ यदि ईश-प्रसन्नता की ओर हो जाए,
तो इसमें जो जगमगाहट पैदा होगी, उसका अन्दाज़ा हरेक कर सकता है।
इस्लाम के पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबूबक्र (रज़ि०) ने ऐसा ही किया था-
एक चमकता आदर्श, एक अनुपम उदाहरण,
व्यापार उनका पेशा था,
ख़लीफ़ा चुने जाने के बाद वह जब इसके लिए निकले, तो वरिष्ठ साथियों ने रोक दिया कहा, आप व्यापार में अपना समय न लगाइए ज़रूरत भर 'वेतन' लीजिए,
और 'वेतन' निश्चित कर दिया गया।
उन्होंने महसूस किया 'वेतन' ज़रूरत से ज़्यादा है।
फिर ज़रूरत से ज़्यादा वेतन वापस कर दिया
मात्र ईश-प्रसन्नता के लिए
यह समझकर कि राजकोष जनता की अमानत है,
कल्याणकारी कार्यों में इसे व्यय होना चाहिए, न कि मेरे ऊपर
'अमानत' की रक्षा की यह भावना काश
आज के शासकों में भी पैदा हो जाती।

वर्ष 35 अंक 06 दिसंबर 2025



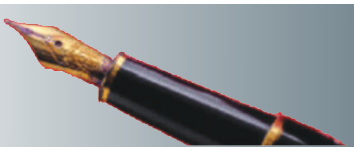


आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

कान्ति
मासिक

- अमानत की रक्षा (विचार सौरभ) – डॉ० कौसर यज़दानी नदवी 3
- मानवाधिकार संरक्षण (संपादकीय) – डॉ. फ़रहत हुसैन 5
- मनुष्य के मार्गदर्शन की ईश्वरीय व्यवस्था – मुशर्रफ़ अली 7
- मन को खुला रखें, ताकि सत्य आप तक पहुंच सके – सुफ़ियान अहमद 11
- अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस: मानवता पर मंथन का मौक़ा – सुफ़ियान अहमद 13
- यूडीएचआर और इस्लामी सिद्धांत: एक तुलनात्मक अध्ययन – डॉ० ख़ान यासिर 17
- इन्सान की हैसियत से इन्सान के अधिकार – मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी 20
- 'ईश्वर ने सम्मान और स्वतंत्रता को मनुष्य के स्वभाव में रखा है – डॉ० मुहियुद्दीन ग़ाज़ी 23
- मतदाता सूची पूनिरक्षण या मताधिकार पर हमला ? – डॉ० प्रदीप कुमार 27
- आर.एस.एस. के सौ साल – संपादन प्रभाग 29
- जो 'अब्र' यहाँ से उट्ठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा – संपादन प्रभाग 31
- मां के पवित्र रिश्ते का यह कैसा सम्मान? – ज़हीर ललितपुरी 33
- शादी से अलग होने के लिए औरत का अधिकार – मुनव्वर सुल्तान नदवी 34
- सर्दियों में रखें सेहत को सुरक्षित – संपादन प्रभाग 38
- सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर – संपादन प्रभाग 40
- समरसता का मूलाधार – मुहम्मद अनस, उत्तराखंड 42
- विकसित भारत में फिर एक बेटी की बलि – समी अहमद 43
- डिजिटल पड़ोस: आभासी संबंधों की विस्तृत दुनिया – इरफ़ान वहीद 44
- मेरे मददगार पड़ोसी – ग़ज़ाला परवीन 48
- दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर 50

संपादकीय



डॉ. फ़रहत हुसैन

मानवाधिकार संरक्षण

इनसान के मौलिक अधिकारों का संरक्षण मानव समाज की आधारशिला है। स्वतंत्रता, समता,समानता, इनसान के जान माल इज़्ज़त आबरू की सुरक्षा; अन्याय, अत्याचार, घृणा तथा तिरस्कार से बचाव; रंग नस्ल जाति धर्म क्षेत्र तथा भाषा के आधार पर भेदभाव रहित वातावरण, समाज के लिए अपरिहार्य हैं। ऐसा नैतिक तथा कानूनी ढांचा मौजूद होना चाहिए जो लोगों को, सरकारों, ग्रुपों तथा व्यक्तियों की ज़्यादतियों से सुरक्षा प्रदान करे। किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म के प्रति घृणा पैदा करने के कुचक्र से बचने की संपूर्ण व्यवस्था हो।

प्राचीन सभ्यताओं में यूनान तथा रोम के साहित्य में सीमित रूप से नागरिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। बड़े धर्मों के ग्रन्थों में भी लोगों के अधिकारों के संबंध में शिक्षाएं मिलती हैं। छठी शताब्दी से दसवीं शताब्दी के बीच इस्लाम तथा मुस्लिम जगत का, इनसान की जटिल समस्याओं के समाधान के साथ ही मानवाधिकारों के संबंध में सिद्धांत तथा व्यवहार पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। खेद का विषय है कि पश्चिमी विद्वानों तथा शोधकर्ताओं ने उस पर 'ध्यान' ही नहीं दिया। पश्चिमी जगत में नागरिक अधिकारों के संबंध में तेरहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में लागू किए गए मैग्ना कार्टा (Magna Carta) को एक शुरुआत माना जाता है, हालांकि इसका उद्देश्य आम नागरिकों के बजाय इंग्लैंड के सामंती वर्ग को अधिकार देना था। अट्ठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में मानवाधिकारों के संबंध में पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरुप, बीसवीं शताब्दी में कई महत्वपूर्ण देशों ने मानवाधिकारों को अपने संविधान में स्थान दिया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के महत्व को स्वीकारते हुए उसके संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र (Universal Declaration of Human Rights) स्वीकार किया जो वास्तव में एक सराहनीय कार्य है। इस घोषणा पत्र में मानवाधिकारों का सम्मान करने; जाति, लिंग, भाषा तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी इनसानों को बुनियादी स्वतंत्रता दिलाने की बात कही गई है। इस पूरे घोषणा पत्र पर किसी सदस्य देश ने आपत्ति नहीं की और आपत्तिजनक कोई बात इसमें है भी नहीं। सभी घोषणाएं मानवाधिकारों को बढ़ावा देने वाली हैं। परंतु समस्या यह है कि मानवाधिकारों को लागू कौन करेगा? जो देश या समुदाय इनका हनन करें या घोषणाओं के विपरीत कार्य करें, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास होगा?

संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्यों में जहां अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है वहीं मानवाधिकारों का संरक्षण भी है। इसमें संदेह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था है तथा इसके उद्देश्य भी बहुत अच्छे हैं, परंतु विडंबना यह है कि मानवाधिकारों के घोषणा पत्र को लागू करने की समुचित शक्ति उसमें निहित नहीं है। यही कारण है कि राष्ट्र संघ की उपस्थिति, घोषणा पत्र की उपलब्धता तथा मानवाधिकार आयोग की स्थापना के होते हुए भी वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार हनन की घटनाएं, नफ़रत की राजनीति, नस्लकुशी की वारदातें, राष्ट्रों के बीच युद्ध तथा अनुचित आर्थिक प्रतिबंध आदि, संपूर्ण मानवता के लिए नासूर बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित प्रस्तावों को लागू करने में एक बड़ी बाधा पांच बड़े देशों को प्राप्त वीटो का अधिकार माना जाता है। मानवाधिकारों का समुचित संरक्षण कैसे हो इस पर गंभीरता से विचार करने का यही सही समय है। ■■

मार्गदर्शन

क़ुरआन

इनसान की हत्या मानवजाति की हत्या है



क़ुरआन में कहा गया:

"बनी इसराईल पर हमने यह फ़रमान लिख दिया था कि जिसने किसी इनसान की ख़ून के बदले या धरती में फ़साद (उपद्रव) फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से हत्या की, उसने मानो सभी इनसानों की हत्या कर दी। और जिसने किसी को जीवन प्रदान किया, उसने मानो सभी इनसानों को जीवन प्रदान किया।"

(क़ुरआन सूरा-5, अल माइदा, आयत-32)

अर्थ यह है कि दुनिया में मानवजाति का बाक़ी रहना निर्भर करता है इसपर कि प्रत्येक इनसान के दिल में दूसरे इनसानों की जान का सम्मान पाया जाता हो और प्रत्येक एक-दूसरे के जीवन को संरक्षित रखने में सहायक बनने की भावना रखता हो। जो व्यक्ति नाहक़ (अकारण) किसी की जान लेता है, वह सिर्फ़ एक ही आदमी पर जुल्म भी नहीं करता, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि उसका दिल इनसानी जीवन के आदर से और इनसानी सहानुभूति की भावना से ख़ाली है, इसलिए वह पूरी मानवता का दुश्मन है, क्योंकि उसके अन्दर वह दुर्गुण पाया जाता है जो अगर तमाम इनसानों में पाया जाए तो पूरी मानवता का ख़ात्मा हो जाए। इसके विपरीत जो व्यक्ति इनसानों के जीवन को बाक़ी रखने में सहयोग करता है, वह वास्तव में इनसानियत का समर्थक है, क्योंकि उसमें वह विशेषता पाई जाती है जिसपर इनसानियत का बाक़ी रहना निर्भर है। मानवाधिकारों के संदर्भ में क़ुरआन की यह शिक्षा स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। ■■

हदीस

अल्लाह का कुटुम्ब

(1) पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया, "समस्त मनुष्य ईश्वर का कुटुम्ब (कुंबा) हैं, अत: समस्त लोगों में ईश्वर की दृष्टि में सबसे प्रिय व्यक्ति वह है जिसका व्यवहार ईश्वर के कुटुम्ब के साथ अच्छा है।" (हदीस : बैहक़ी)

व्याख्या : यह हदीस बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य को प्रतिष्ठा प्रदान की है। ईश्वर की दृष्टि में अच्छे लोग वही हो सकते हैं जो उसके बन्दों को आदर की दृष्टि से देखें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें।

इस हदीस तथा इस विषय से संबंधित दूसरी हदीसों से उन मौलिक आधारों का पता चलता है जिनपर स्थापित समाज ही ऐसा समाज है जिसे एक आदर्श समाज कहा जा सकता है। ये आधार वास्तव में जीवन के वे उच्च मूल्य (Values) हैं जिनके अभाव में जीवन वास्तव में सुखमय और शान्तिमय नहीं होसकता।

(2) पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा, "अल्लाह ने मेरी ओर वह्य (प्रकाशना) की है कि विनम्रता अपनाओ यहाँ तक कि कोई किसी व्यक्ति के मुक़ाबले में गर्व न करे और न कोई व्यक्ति किसी पर ज़ुल्म और अत्याचार करे।" (हदीस : मुस्लिम)

व्याख्या : अर्थात् यह अल्लाह का आदेश है कि परस्पर विनम्रता अपनाई जाए। यह उदारता के विपरीत है कि कोई व्यक्ति समाज में अभिमानी बनकर रहे। विनम्रता इस सीमा तक अपेक्षित है कि कोई भी व्यक्ति किसी के मुक़ाबले में गर्व न करे और न किसी पर किसी प्रकार का ज़ुल्म और अत्याचार करे। घमण्ड और ग़ुरूर के कारण किसी के मुक़ाबले में बड़ाई जताने की समाज में कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। ■■

आस्था

मनुष्य के मार्गदर्शन की ईश्वरीय व्यवस्था

मुशर्रफ़ अली

ईश्वर अपने अंतिम ग्रंथ में, जो उसने समस्त मानवजाति के मार्गदर्शन के लिए भेजा है, कहता है:

"हमने इस आकाश और धरती को और इस संसार को जो इनके बीच है, व्यर्थ नहीं बनाया है, यह तो उन लोगों का कुविचार है, जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को मानने से इन्कार किया है। और ऐसे इन्कारियों केलिए बर्बादी है नरक की आग से।" क़ुरआन, 38: 27

"धरती और आकाश के सृजन में और रात-दिन के बारी-बारी से आने-जाने में उन समझदार लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते, बैठते और लेटते हर हाल में ईश्वर को याद करते हैं और धरती एवं आकाश की रचना में सोच-विचार करते हैं (वे अनायास पुकार उठते हैं) "पालनहार! ये सब कुछ तूने व्यर्थ और निरुद्देश्य नहीं बनाया है। तू तो इससे पवित्र है कि व्यर्थ काम करे। हे प्रभु हमें नरक की आग से बचा ले।" क़ुरआन, 3: 91

मनुष्य के लिए अनिवार्य है कि वह अपने रचयिता और पालनहार को पहचाने, अपने और अपने रचयिता के सम्बन्ध को जाने और यह समझे कि उसे संसार में क्या करना है। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को बार-बार धरती और आकाश की रचना में विचार करने केलिए उभारा है। लेकिन यह भी सच है कि केवल पांच ज्ञानेन्द्रियों से हम धरती और आकाश की रचना और उसमें निहित तत्वदर्शिता तथा सम्पूर्ण उद्देश्य को नहीं समझ सकते, ईश्वर की योजना का रहस्य नहीं पा सकते और न ही अपना दायित्व जान सकते हैं। मनुष्य के देखने सुनने महसूस करने आदि की क्षमताएं सीमित हैं और ईश्वर की योजना का रहस्य सीमाओं से परे है। अतः ईश्वर ने मानवजाति के मार्गदर्शन के लिए एक मज़बूत और दोषरहित व्यवस्था की। उसने हर समय और हर समाज में किसी उत्कृष्ट मनुष्य को चुन लिया और उसे अपना संदेशवाहक बना लिया फिर निर्देश भेजने का सिलसिला शुरू किया और संदेशवाहक को यह दायित्व सौंपा कि वह अपने समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को ईश्वरीय आदेश और निर्देश से अवगत करे उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करे। साथ ही ईश्वर ने अपने संदेशवाहक को यह चेतावनी भी दे दी कि:

"ऐ संदेशवाहक! जो कुछ तुम्हारे पालनहार की ओर से तुमपर उतारा गया है वह लोगों तक पहुंचा दो अगर तुमने ऐसा न किया तो उस (संदेशवाहक होने) का दायित्व पूरा नहीं किया।" क़ुरआन, 5: 67

ईश्वर आरंभ से ही यही चाहता है कि मनुष्य आज्ञाकारी बन्दा होकर रहे। दुनिया में जब तक रहे उसके इच्छानुसार जीवन गुज़ारे और दुनिया का जीवन पूरा करने के बाद सफलता प्राप्त करके स्वर्ग में जगह पाये। यही कारण है कि उसने क़दम-क़दम पर मानव-जाति का मार्गदर्शन किया। जन्म से मृत्यु तक जितने भी चरणों से मनुष्य को गुज़रना होता है, सबके लिए ईश्वर ने मार्गदर्शन भेज दिया है। मार्गदर्शन भेजने का यह सिलसिला ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने बाद में कभी शुरू किया हो, बल्कि मनुष्य को धरती पर भेजने के साथ ही उसने इसकी व्यवस्था कर दी थी।

जिस तरह जब हम कोई स्कूल खोलते हैं तो सबसे पहले मूल ढांचा विकसित करते हैं फिर टीचर की व्यवस्था करते हैं और टीचर की ही ज़िम्मेदारी होती है कि वह छात्रों को पढ़ाये लिखाए। ठीक इसी तरह ईश्वर ने सबसे पहले यह दुनिया बनायी इसमें मनुष्य की ज़रूरत की एक-एक चीज़ रख दी और इसे पूरी तरह मानव आवश्यकताओं के अनुकूल बना दिया फिर यहां अपने पास से प्रशिक्षण देकर एक शिक्षक को भेजा और साथ ही उसकी पत्नी को भी। ये धरती पर आने वाले प्रथम

मनुष्य आदम और उनकी पत्नी हव्वा हैं। ईश्वर ने इन दोनों से यह कहा कि अब दुनिया तुम्हारी संतान से आबाद होगी अतः अपनी संतानों को मेरा सीधा मार्ग बताते रहना। मानव-जाति को याद दिलाने केलिए ईश्वर ने अपने अंतिम ग्रंथ में इस घटना का वर्णन इन शब्दों में किया है:

"हमने आदम और उसकी पत्नी को आदेश दिया, तुम्हें एक निश्चित समय तक धरती पर ठहरना और वहीं गुज़र-बसर करना है, मेरी ओर से तुम्हारे पास निर्देश पहुंचेगें तो जो लोग उन निर्देशों का पालन करेंगे उनके लिए कोई भय और दुख नहीं होगा और जो लोग उसे स्वीकार करने से इन्कार कर देंगे और हमारी निशानियों को झुठलाएंगे वे नरक की आग में जाने वाले हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे।" क़ुरआन 2: 38-39

आदम ईश्वरीय प्रकाशना केमाध्यम से ईश्वरीय निर्देश ग्रहण करते रहे और अपनी संतान तक पहुंचाते रहे। आदम लम्बे समय तक दुनिया में जीवित रहे उन्होंने अपनी संतानों की कई पीढ़ियां देखीं। उन्होंने हरेक तक ईश्वर का संदेश पहुंचाया। कुछ लोगों ने उनकी बात मानी और कुछ ने नहीं मानी और अपनी मनमानी करते रहे। आदम के बाद उनके अनुयायियों में भी धीरे-धीरे बिगाड़ आने लगा तो ईश्वर ने उन्हीं में किसी सबसे उचित व्यक्ति को अपना संदेशवाहक चुन लिया और अपनी प्रकाशना द्वारा उन तक अपना निर्देश पहुंचाने लगा और यह नया संदेशवाहक समाज केसभी लोगों तक ईश्वर का निर्देश पहुंचाता लोगों को उन्हें मानने और उसके अनुसार जीवन गुज़ारने को प्रेरित करता। जैसे-जैसे दुनिया में मानव आबादी फैलती गयी लोगों ने अलग-अलग भू-भाग में समाज बनाकर रहना शुरू किया और धीरे-धीरे वे पूरी दुनिया पर छा गये। ईश्वर ने दुनिया केहर क्षेत्र में हर समाज में उन्हीं में से अपना संदेशवाहक नियुक्त किया और लम्बे समय तक एक केबाद एक संदेशवाहक नियुक्त करता ही रहा। यहां तक कि, उसका कथन है:

ऐ संदेशवाहक! जो कुछ तुम्हारे पालनहार की ओर से तुमपर उतारा गया है वह लोगों तक पहुंचा दो अगर तुमने ऐसा न किया तो उस (संदेशवाहक होने) का दायित्व पूरा नहीं किया।

"(धरती पर) कोई समुदाय ऐसा नहीं गुज़रा है, जिसमें कोई सचेत करने वाला न आया हो।" क़ुरआन; 35 : 24

"और यह तथ्य है कि हमने (संसार के) हर समुदाय में कोई-न-कोई संदेशवाहक (रसूल) अवश्य पैदा किया, (ताकि इस सत्य संदेश की उद्घोषणा कर दे) कि अल्लाह की उपासना करो और उद्दण्ड शक्तियों से बचो। फिर उन समुदायों में से कुछ ऐसे थे जिन को अल्लाह की अनुकम्पा से (सफलता का) रास्ता मिल गया और कुछ ऐसे थे जिन पर पथभ्रष्टता सिद्ध हो गई। अतः देशों की सैर करो और देखो जो क़ौमें (सत्य को) झुठलानेवाली थीं, उनका अंततः क्या परिणाम हुआ?" क़ुरआन, 16: 36

पहले ईश्वर के संदेशवाहकों द्वारा लायी गयी ये शिक्षाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सीना-ब-सीना पहुंचती थीं। अर्थात् नयी पीढ़ी अपने बड़ों से स्वाभाविक रूप में ये बातें सीख लेती थी। या ईश्वर के संदेश वाहकों के नज़दीकी लोगों में से कुछ भले लोग उन शिक्षाओं को जो उनके मन मस्तिष्क में सुरक्षित थीं अपने तौर पर दूसरे तक पहुंचाने लगते। यह तरीक़ा दोषरहित नहीं था, क्योंकि जाने अनजाने हर पीढ़ी इसमें से कुछ बातें भूल जाती और कुछ नयी बातें अपनी ओर से मिला देती और इस प्रकार कुछ समय बाद मूल शिक्षा पूरी तरह विकृत हो जाती। ऐसे में ईश्वर फिर किसी को नियुक्त करता और और उसके माध्यम से मिलावटों और अशुद्धियों को दूर करता और विशुद्ध सत्य को पुनः स्थापित कर देता।

समय बीतने के साथ-साथ जब दुनिया काफ़ी विकसित हो गयी, मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीख लिया और ईश्वरीय मार्गदर्शन को लिखकर सुरक्षित करना संभव हो गया तो ईश्वर के दूतों ने ईश्वर के आदेश से उन शिक्षाओं का लिखित संग्रह तैयार करना शुरू किया और धर्मग्रंथ के रूप में अपनी-अपनी क़ौम को सौंप दिया। एक समय

तक उन क़ौमों ने धर्मग्रंथ में लिखित ईश्वरीय आदेशों के अनुसार जीवन बिताया और फिर धीरे-धीरे उन शिक्षाओं से दूर होते चले गये। कुछ उद्दंड क़ौमों ने शरारत में धर्मग्रंथ की शिक्षाओं को बदल दिया। ऐसा भी हुआ कि कालांतर में भाषा के मिट जाने से भी धर्मग्रंथ की शिक्षाएं बाक़ी नहीं रहीं। अंतिम धर्मग्रंथ से पहले के तीन ग्रंथ आज भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन वे अपनी अस्ली हालत में बाक़ी नहीं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि वे धर्मग्रंथ अपने समय और अपने क्षेत्र केलिए ही भेजे गये थे, आज उनकी प्रासंगिकता भी बाक़ी नहीं रही। अतः अंत में ईश्वर ने अपना अंतिम संदेशवाहक नियुक्त किया और उसके माध्यम से बहुत विस्तार के साथ अपना मार्गदर्शन दुनिया वालों केलिए भेज दिया। यह मार्गदर्शन समय और क्षेत्र की सीमाओं से पूर्णतः मुक्त है, इसलिए ईश्वर ने उसमें यह घोषणा भी कर दी है कि :

"आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन (धर्म) पूरा कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत (अनुकम्पा) पूरी कर दी है और इस्लाम (ईश्वर केप्रति पूर्ण समर्पण) को तुम्हारे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है।"(क़ुरआन; 5: 3)

अर्थात यह मार्गदर्शन समस्त मानवजाति केलिए क़ियामत तक के लिए पर्याप्त है। क़ियामत तक मानवजाति के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान इसमें मौजूद है। चूंकि ईश्वर ने क़ियामत तक समस्त मानवजाति केमार्गदर्शन का ज़िम्मा लिया है और जब वही कह रहा है कि:

"लोगो! मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के पिता नहीं हैं, बल्कि वे अल्लाह के संदेशवाहक और संदेशवाहकों की शृंखला के समापनकर्ता (अर्थात् अंतिम संदेशवाहक) हैं और अल्लाह सभी चीज़ों का ज्ञान रखनेवाला है।" क़ुरआन; 33: 40

इसका सीधा सा अर्थ यह है कि क़ियामत तक मानव-जाति के मार्गदर्शन के लिए आख़िरी संदेशवाहक की शिक्षाएं पर्याप्त हैं। मानव समाज के सामने ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है, जिसका हल ईश्वर ने न भेज दिया हो। पिछले साढ़े चौदह सौ वर्षों से यह बात सही भी साबित हो रही है। इस दौरान दुनिया ने बहुत तरक़्क़ी की, सब कुछ बदल गया। हर क्षेत्र में क्रान्ति आ गयी। अब हमारे पास उस समय केलोगों की जीवन शैली में से कुछ भी बाक़ी नहीं है। वैज्ञानिक विकास केसाथ एक से एक नये मुद्दे उठे, लेकिन ईश्वरीय मार्गदर्शन की आधुनिकता कभी भी धूमिल नहीं हुई। अंतिम संदेशवाहक की शिक्षाएं जितनी उपयोगी कल थीं उतनी ही आज भी हैं और आगे भी रहेंगी।

ईश्वर ने हमेशा उस व्यक्ति को अपना संदेशवाहक नियुक्त किया जो संसार का सबसे अच्छा व्यक्तित्व होता। शारीरिक बनावट से लेकर आचरण और व्यवहार तक उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं होता। हम यह भी कह सकते हैं कि ईश्वर को जिसे अपना संदेशवाहक बनाना होता वह उसे सर्वगुण सम्पन्न पैदा करता है। बचपन में वह हरेक की आंख का तारा होता, किशोरावस्था में भी उसके स्वभाव, उसके कामों के कारण सब उसे पसन्द करते और जवानी में भी वह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यक्ति होता। उसके चाल-चलन, उसके आचार विचार और उसके व्यवहार से सभी प्रभावित होते। आख़िरी संदेशवाहक भी ऐसे ही थे। बल्कि चूंकि इस पर संदेश और मार्गदर्शन भेजने का सिलसिला ख़त्म करना था और ईश्वर ने इसे संदेशवाहक शृंखला-समापन करने वाला बनाकर भेजा, इसलिए उसमें ये सारे सद्गुण दूसरे सभी संदेशवाहकों की तुलना में बहुत अधिक थे।

इस तथ्य को आज भी लोग स्वीकार करते हैं। अंतिम संदेशवाहक के सद्गुणों की स्वीकारोक्ति केवल वे ही लोग नहीं करते जो उससे श्रद्धा रखते हैं, बल्कि निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने वाला हर व्यक्ति इसे स्वीकार किये बिना नहीं रहता। अतः अमेरिकी विद्वान माइकल हार्ट ने जब इतिहास के प्रभावशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया तो अपनी पुस्तक 'दि हन्ड्रेड' में ईश्वर के अंतिम संदेशवाहक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का नाम सबसे ऊपर रखा। ■■

ESTD. 2018 Registration. No. PR10001186

एनायत प्राईवेट (आई.टी.आई.) عنایت پرائیویٹ (آئی۔ٹی۔آئی)

ENAYETH PVT. (I.T.I.)

1917 2017 100

THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE CAMPUS

Cherki - 824237, Distt. Gaya (Bihar) INDIA

NCVT भारत सरकार नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त

Affiliated to N.C.V.T. New Delhi Government of India



नामांकन जारी है। इलेक्ट्रीशियन और फीटर दो वर्षीय कोर्स

ADMISSION IS GOING ON FOR TWO TRADES

ELECTRICIAN & FITTER 2 YEARS COURSE

- Foundation Stone Was Laid by DR. AKHLAQUR RAHMAN KIDWAI, Governor of Bihar (Dated 7th November 1993).
- Inaugurated by MR. LALU PRASAD YADAV, Former Chief Minister of Bihar (Dated 2nd December 2017)

Note I.T.I. की डिग्री अब I.Sc. (Math) के समकक्ष
I.T.I. DEGREE IS EQUIVALENT TO I.Sc. (MATH)

Remember

- Grand Building With a Big Playground in About 16 Acres of Land.
- Big And Airy Classrooms.
- Lush Green Park in the Centre of the Building.
- Big Workshop with all Equipments of Both Trades.
- A Library Named As Dr. A.P.J. ABDUL KALAM & Dr. AKHLAQUR RAHMAN KIDWAI
- Library For the Students.

DIRECTOR

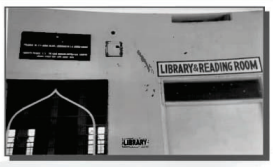
Note रेलवे की आगामी GROUP-D की नियुक्ति में I.T.I. अनिवार्य कर दिया गया है।
IN THE NEXT APPOINTMENT OF RAILWAY'S GROUP-D, I.T.I. HAS BECOME COMPULSORY.

Managed By THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
CHERKI-824237, DISTT. GAYA (BIHAR) INDIA

Contact No.: 7079262582, 9852915911, 7258063440 (Whatsapp No.)

आएँ! हम से हाथ मिलाएँ और अपने बच्चे का भविष्य रौशन बनाएँ ।
COME! JOIN HANDS WITH US AND ENSURE BRIGHT FUTURE OF YOUR BOYS.



विचार बोध

मन को खुला रखें, ताकि सत्य आप तक पहुंच सके

सुफ़ियान अहमद

मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि वह कितना जानता है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जानने के लिए उसका मन कितना खुला है। जब तक मन के द्वार खुले नहीं रहते, तब तक सत्य हमारे सामने उपस्थित होकर भी अनदेखा रह जाता है। सत्य का सामना संकीर्ण मन से नहीं किया जा सकता।

जिस मन में पूर्वाग्रह, अहंकार या मतांधता भरी हो, वहां सत्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे बंद खिड़की से धूप नहीं आती, वैसे ही बंद मन में सत्य नहीं उतरता। पवित्र क़ुरआन ने उन लोगों की चर्चा की है जो सत्य को देख कर भी अस्वीकार करते हैं:—

"उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी गई है, और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है।" क़ुरआन, 2:7

यह 'मुहर' कोई बाहरी दंड नहीं, बल्कि उनके अपने बंद मन का परिणाम है।

खुले मन का अर्थ यह नहीं कि हर विचार को बिना सोच-विचार स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि यह कि विचारों को समझने, जांचने और तौलने का साहस रखा जाए। क़ुरआन बार-बार कहता है:—

"क्या तुम सोच-विचार से काम नहीं लेते?" क़ुरआन, 6: 50 "क्या तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते?" क़ुरआन, 2:44

क्या तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते? क़ुरआन में एक दर्जन से अधिक बार इस प्रश्न को दोहराया गया है। यह प्रश्न मनुष्य को सोचने की स्वतंत्रता देता है, ताकि वह सत्य तक अपनी बुद्धि से पहुंचे, न कि किसी परंपरा या संप्रदाय के दबाव में।

सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, जिसे कहीं बाहर खोजा जाए, यह तो भीतर की जागृति है, परंतु यह तभी संभव है जब मन का आवरण हटे। जब व्यक्ति अपनी धारणाओं, पूर्वाग्रहों और अहंकार को त्याग देता है, तब हृदय में एक सूक्ष्म प्रकाश जन्म लेता है। वह प्रकाश, जिसकी ओर क़ुरआन संकेत करता है:—

"ईश्वर उनका रक्षक और सहायक है, वह उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर निकाल लाता है।" क़ुरआन, 2: 257

यह 'अंधकार' अज्ञान का नहीं, बल्कि आत्म-मोह का होता है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसका विचार ही अंतिम है, तब वह सच्चे ज्ञान से दूर चला जाता है। इसके विपरीत, जो यह मानता है कि "मैं सीख सकता हूं, मैं ग़लती कर सकता हूं", वही ज्ञान के द्वार पर पहुंचता है। इसके लिए व्यक्ति का विनम्र होना ज़रूरी है। विनम्रता खुले मन की पहली शर्त है। सत्य की प्राप्ति का मार्ग ज्ञान से नहीं, बल्कि विनम्रता से आरंभ होता है।

अहंकारी व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य हमेशा विनम्रता की भूमि पर ही अंकुरित होता है। अहंकार सत्य के प्रति अंधत्व लाता है और सत्य से दूर होने वाला व्यक्ति ईश्वरीय कृपा का अधिकारी नहीं होता। पवित्र क़ुरआन कहता है:—

"ईश्वर हर अहंकारी, निर्दयी-अत्याचारी के दिल पर मुहर लगा देता है।" क़ुरआन, 40:35

यह अहंकार केवल सामाजिक या भौतिक नहीं, बौद्धिक अहंकार भी हो सकता है। अहंकारवश व्यक्ति यह मान बैठता है कि वह सब कुछ जानता है, लेकिन जिस दिन वह अपने अज्ञान को पहचान लेता है, उसी दिन उसका ज्ञान आरंभ होता है।

क़ुरआनी संदेशों में बार-बार विचार, चिंतन और खोज की बात आती है।

"धरती और आसमान की रचना में, रात और दिन के परिवर्तन में, बुद्धि रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं।" क़ुरआन,3: 190

यह आयत केवल प्रकृति की ओर देखने का निमंत्रण नहीं देती, बल्कि यह कहती है कि ब्रह्मांड एक खुली किताब है, जिसे पढ़ना, समझना और सोच-विचार करना ईमान की निशानी है। ईमान (Faith) का अर्थ अंध-स्वीकार नहीं, बल्कि अनुभव और तर्क से उपजा विश्वास है। इस्लामी परंपरा में विश्वास तर्क के साथ जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति अपने अनुभव, बुद्धि और अंतःकरण के समन्वय से किसी सत्य को स्वीकार करता है, तभी वह वास्तविक ईमान वाला बनता है।

सत्य की खोज में संवाद अनिवार्य है। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की जीवनशैली संवाद पर आधारित थी। उन्होंने विरोधियों से भी वाद-विवाद किया, लेकिन उद्देश्य पराजित करना नहीं, बल्कि समझ पैदा करना था।

सत्य की खोज में संवाद अनिवार्य है। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की जीवनशैली संवाद पर आधारित थी। उन्होंने विरोधियों से भी वाद-विवाद किया, लेकिन उद्देश्य पराजित करना नहीं, बल्कि समझ पैदा करना था।

इस्लामी इतिहास में मुस्लिम दार्शनिकों की परंपरा इसी खुलेपन का प्रतीक रही है। उन्होंने केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि तर्क, दर्शन, गणित, खगोल और चिकित्सा तक का अध्ययन किया ताकि सत्य के हर रूप को समझा जा सके। उनके लिए ज्ञान का कोई क्षेत्र "हराम" नहीं था, क्योंकि वे मानते थे कि "हर सत्य ईश्वर की ओर से है।"

इसके विपरीत जब मनुष्य अपने विचार को ही अंतिम मान लेता है, तो वह अपने ऊपर अदृश्य दीवार खड़ी कर लेता है। वह सुनना और सीखना छोड़ देता है। यही वह स्थिति है जहां धर्म, दर्शन और विज्ञान, सब अपनी मूल आत्मा खो देते हैं। क़ुरआन इस स्थिति को 'ज़ुल्म' (अन्याय) कहता है, क्योंकि यह आत्मा पर किया गया अन्याय है।

"और जब उन्हें सत्य सुनाया जाता है, तो वे घमंड करते हैं।" क़ुरआन, 45:8

"और जब उनसे कहा जाता है, 'अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उसका अनुसरण करो' तो कहते हैं, 'नहीं, बल्कि हम तो उसका अनुसरण करेंगे जिसपर हमने अपने बाप-दादा को पाया है।' क्या उस दशा में भी जबकि उनके बाप-दादा कुछ भी बुद्धि से काम न लेते रहे हों और न सीधे मार्ग पर रहे हों ?" क़ुरआन, 2:170

खुले मन का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ सत्य है, बल्कि यह कि सत्य की खोज सतत है और सत्य तक पहुंचने के लिए मन का खुला होना एक आवश्यक शर्त है। बंद मन केवल अपने विचारों की गूंज सुनता है, जबकि खुला मन ईश्वर के संदेश की सच्ची पुकार को सुनता है। क़ुरआन कहता है: —

"जो लोग बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और फिर उसमें से श्रेष्ठ का अनुसरण करते हैं। वही हैं जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया है और वही बुद्धि और समझ रखने वाले हैं।" क़ुरआन, 39:18

अतः, मन को खुला रखना केवल बौद्धिक आवश्यकता नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचने की पहली शर्त भी है और सत्य वह है जो हमें सोचने पर विवश करता है। जो सोचता है, वह एक दिन सत्य को पहचान लेता है और जो सत्य को पहचान लेता है वही ईश्वर के निकट पहुंचता है। सत्य की राह उन्हीं के लिए खुलती है, जो अपने भीतर के दरवाज़े खोलने का साहस रखते हैं। ■■

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस: मानवता पर मंथन का मौक़ा

सुफ़ियान अहमद

हर वर्ष 10 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अधिकारों के समूचे समूह में मानवाधिकार को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो केवल इसलिए हमारे पास हैं क्योंकि हम मानव हैं। ये किसी राज्य, शासन या सत्ता द्वारा प्रदत्त नहीं, बल्कि हमारी मानवता से उत्पन्न स्वाभाविक और नैसर्गिक अधिकार हैं।

मानवाधिकार दिवस हमें याद दिलाता है कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय दायित्व भी है। इसलिए यह दिन उत्सव का नहीं, आत्ममंथन का दिन बनना चाहिए। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक रक्षा हो और जो कोई भी उसे रौंदने चले, उसे रोका जाए।

राष्ट्रीयता, लिंग, जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे, ये सार्वभौमिक अधिकार हम सभी को समान रूप से प्राप्त हैं। मानवाधिकार का प्रश्न "अपनी डफली, अपना राग" की तरह नहीं है कि हर कोई अपनी सुविधा या स्वार्थ के अनुसार इसकी व्याख्या कर ले। सैद्धांतिक रूप से विश्व की महाशक्तियों तथा संस्थाओं सहित पूरी दुनिया का यह मानना है कि इन अधिकारों का अतिक्रमण, विश्व के किसी भी देश या किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया किया जाना चाहिए।



द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब सन् 1949 का जिनेवा कन्वेंशन अस्तित्व में आया, तो उनका मूल उद्देश्य यही था कि युद्ध के समय भी मानवता की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन संधियों में यह स्पष्ट किया गया कि नागरिकों, अस्पतालों, राहत संस्थाओं और मानवीय सहायता कार्यों को किसी भी स्थिति में हमले का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। यह सिद्धांत आधुनिक सभ्यता की वह नैतिक रेखा है जिसे लांघना, पूरी मानवता के विरुद्ध अपराध माना गया है।

लेकिन यह विडम्बना है कि जिन सिद्धांतों के आधार पर आधुनिक मानवता ने युद्ध की विभीषिकाओं से स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रण किया था, वही आज सबसे अधिक रौंदे जा रहे हैं। हाल में हमने पश्चिम एशिया में मानवाधिकार के तमाम मूल्यों और नियमों को स्वाहा होते देखा। ग़ज़्ज़ा के असहाय नागरिकों पर अपनी अंधाधुंध बमबारी को इस्राईल सही ठहराता रहा और तथाकथित सभ्य दुनिया देखती रही। ये वही लोग हैं, जो दुनिया को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने का दावा करते हैं।

जब स्कूलों, अस्पतालों और आश्रयों पर बम गिराए जा रहे हों, तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय क़ानून अब केवल ताक़तवर राष्ट्रों के लिए औपचारिकता बनकर रह गए हैं? पश्चिम एशिया की वर्तमान त्रासदी न केवल अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन है, बल्कि मानवाधिकारों के पूरे दर्शन पर एक गहरा प्रहार भी है।

फ़िलिस्तीन की जनता का संघर्ष अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए है, जबकि इस्राईल एक राष्ट्र के नरसंहार में लिप्त है। एक खुले क़ैदख़ाने में भोजन, दवा, पानी, और बिजली से वंचित 23 लाख फ़िलिस्तीनी जनता पर इस्राइली बर्बता को इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा, जबकि इस विनाश के बीच भी फ़िलिस्तीनियों की जिजीविषा (जीवन-संघर्ष की शक्ति) मानवता के इतिहास में अमर रहेगी।

स्कूल और अस्पताल दो ऐसी जगहें हैं, जिन्हें दुनिया भर में सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ग़ज़्ज़ा पट्टी में जब पनाह लिए, इलाज करवा रहे फ़िलिस्तिनियों पर राकेट गिराए गए तो लगा कि बीसवीं सदी के समस्त मानवीय मूल्यों की हत्या हो गई। इस्राइली बमों से न केवल ग़ज़्ज़ा के अस्पताल बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय नियम और क़ानून भी भस्म हो गए।

संयुक्त राष्ट्र की कमियों, कमज़ोरियों और विफलताओं का एक अलग अध्याय है, लेकिन यह भी सच है कि संयुक्त राष्ट्र दुनिया के पास अंतरराष्ट्रीय मामलों का एकमात्र मंच है। इसलिए बेहतर विकल्प अस्तित्व में आने तक हर देश की इसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन इस्राईल की भाषा और रुख़ से संस्था के रूप में संयुक्त राष्ट्र की खुली अवमानना व्यक्त होती रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र मात्र एक सजावटी संस्था बन कर रह गया है? क्या वीटो पॉलिटिक्स के ज़रिए दुनिया सचमुच 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के तर्क से चल रही है?

इस्राईल अपने जन्म के साथ ही विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। उसने फ़िलिस्तीन की भूमि पर क़ब्ज़ा कर रखा है और अब इस ज़मीन से फ़िलिस्तीनी नागरिकों के अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है। इसलिए इस्राईली अत्याचार के विरुद्ध फ़िलिस्तीनियों का पलटवार एक स्वभाविक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है।

शांति के हर प्रयास को इस्राईल विफल करता रहा है और 75 वर्षों से न केवल अपना विस्तार कर रहा बल्कि फ़िलिस्तीनियों पर ज़ुल्म के पहाड़ भी तोड़ रहा है। 75 वर्षों से लाखों फ़िलिस्तीनी अपनी ही ज़मीन में बने शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस्राईल द्वारा लगातार नागरिक बुनियादी ढांचे को लक्ष्य बनाना, भोजन, जल और चिकित्सा जैसी जीवन-आवश्यक वस्तुओं की नाकेबंदी, न केवल युद्ध के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मानवाधिकारों के खिलाफ़ भी खुला विद्रोह है।

दुखद यह है कि जिन देशों ने मानवाधिकारों को अपनी विदेश नीति का केंद्रीय तत्व घोषित किया है, वे भी अब इन मूल्यों को रणनीतिक समीकरणों के तराज़ू में तौलने लगे हैं। यदि मानवीय मूल्य सार्वभौमिक हैं, तो क्या उनकी रक्षा भी सार्वभौमिक नहीं होनी चाहिए? इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या आज की वैश्विक सभ्यता केवल स्वार्थ और शक्ति-संतुलन की राजनीति पर ही आधारित रह गई है? क्या अब भी कोई ऐसी नैतिक चेतना बची है जो अन्याय को अन्याय कह सके?

इतिहास केवल विजेताओं की गाथा नहीं होता, वह यह भी याद रखता है कि पीड़ितों की पुकार किसने सुनी और किसने अनसुनी की। आज पश्चिम एशिया के पीड़ित लोग हमें यह याद दिला रहे हैं कि पीड़ा का कोई धर्म, जाति या भूगोल नहीं होता। पीड़ित सिर्फ़ इंसान होता है और इंसानियत किसी भी राजनीति से ऊपर होनी चाहिए।

यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि इस समूचे परिदृश्य में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए?

विशेषकर उस भारत की, जिसने हमेशा मानवता, अहिंसा और न्याय को अपनी सभ्यता की मूल आत्मा माना है। जब दुनिया का बड़ा हिस्सा या तो चुप है या पक्षपाती, तब यह अपेक्षा और भी बढ़ जाती है कि भारत जैसी पुरातन नैतिक परंपरा वाला देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संतुलित किंतु स्पष्ट आवाज़ उठाए।



भारत का रुख़ इस समय केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक कसौटी पर भी परखा जा रहा है। हालांकि भारत की भूमिका इस समूचे परिदृश्य में संतुलनकारी रही है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने हमेशा फ़िलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन किया है। उसने हमेशा शांति की स्थापना और फ़िलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों की बात की है। राष्ट्रपिता गांधीजी और पंडित नेहरू, से लेकर अटल बिहारी बाजपेयी तक सभी ने हमेशा फ़िलिस्तीनी हितों का समर्थन किया है, लेकिन समय की विडम्बना देखिए कि आज भारत में भी स्थितियां बदल गई हैं।

यह एक रणनीति आधारित नीति हो सकती है, लेकिन भारत जैसे सभ्यता-संस्कार आधारित देश के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपने नैतिक पक्ष को न खो दे। भारत को चाहिए कि वह पीड़ा के प्रति संवेदनशील बना रहे, और जहां ज़ुल्म हो, वहां उसके विरुद्ध खड़ा हो, चाहे वह कहीं भी हो। यह समय है, जब हमें वैश्विक राजनीति के गणित से ऊपर उठकर वैश्विक नैतिकता की बात करनी होगी। हमें तय करना होगा कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था में रहना चाहते हैं जहां न्याय केवल ताक़तवरों के लिए हो और सहानुभूति केवल रणनीतिक लाभ के अधीन?

इतिहास केवल विजेताओं की गाथा नहीं होता, वह यह भी याद रखता है कि पीड़ितों की पुकार किसने सुनी और किसने अनसुनी की। आज पश्चिम एशिया के पीड़ित लोग हमें यह याद दिला रहे हैं कि पीड़ा का कोई धर्म, जाति या भूगोल नहीं होता। पीड़ित सिर्फ़ इंसान होता है और इंसानियत किसी भी राजनीति से ऊपर होनी चाहिए।

आज ग़ज़्ज़ा दुनियाभर में मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन का एक ऐसा प्रतीक बन चुका है, जहां बच्चों की भूख, विस्थापितों के आँसू और टूटे घरों की चीखें दुनिया के विवेक पर सवाल उठा रही हैं। आज दुनियाभर में राजनीति स्वार्थ मानवीय पीड़ा पर हावी हो चुका है और मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता सत्ता स्वार्थ की सीमाओं में क़ैद होकर रह गई है।

ऐसे में मानवाधिकार दिवस हमें याद दिलाता है कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल नैतिक कर्तव्य नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय दायित्व भी है। इसलिए यह दिन उत्सव का नहीं, आत्ममंथन का दिन बनना चाहिए। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक रक्षा हो और जो कोई भी उसे रौंदने चले, उसे रोका जाए। ■■

एक अपील , एक ऐलान और तआरुफ़

आपकी ख़ुसूसी तवज्जह का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक

38 साल की ख़िदमात

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना, गया



कैफ़ीयते-क़ियाम : इदारा का तीन यतीम लड़कियों से 21 दिसम्बर 1986 को एक किराया के खपरैल मकान में क़ियाम अमल में आया था।

हिन्दुस्तान की रियासत बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में अपने तर्ज़ की पहली और वाहिद इक़ामती (Residential) तालीमगाह जो इस्लामी और असरी उलूम का संगम होने की वजह से मशहूर है। • इदारा बुनियाद के दिन से ही सही इस्लामी ख़ुतूत पर यतीम के साथ-साथ ग़रीब और ग़ैर-यतीम तालिबात की तालीमी व तर्बीयती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। • यहां की तालिबात को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में पहले और दूसरे साल में बाआसानी दाख़िला मिल जाता है। • शोबा-ए-हिफ़्ज़ की तालिबा को भी हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक तक पढ़ाया जाता है। • पांच ज़ुबानों में क़ुरआन और इस्लामियात और बिहार बोर्ड के निसाबे-तालीम के साथ मेयारी तालीम का नज़्म है। • **तालीमी साल** अप्रैल ता मार्च, • इदारा के अहाता (Campus) में ही पर्दे में रहकर नर्सरी से मैट्रिक तक की तालीम, होम साइंस, सिलाई-कटाई, मेहंदी व पेंटिंग और कम्प्यूटर की तालीम वग़ैरा दी जाती है। इसके लिए बच्चियों को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता। **तालीमी मराहिल** • इब्तिदाई •सानवी • आला • फ़ासलाती तालीम • शोबा हिफ़्ज़ **यतीम तालिबात की तादाद** 75 **नोट** यतीम तालिबात का सारा ख़र्च, तआम व क़ियाम वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त है। **बैरूनी तालिबात की तादाद** अपने ख़र्च पर दारुल अक़ामा (Boarding) में रहकर तालीम हासिल करने वाली और दूसरे गांव से पढ़कर जाने वाली लगभग 100 हैं। **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का सालाना ख़र्च पच्चीस हज़ार रुपये (Rs. 25,000) है। आप भी एक यतीम बच्ची की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेकर सवाब में शरीक हों। **असातिज़ा, मुअल्लिमात और दीगर मुलाज़िमीन की तादाद** 33 तदरीसी और ग़ैर-तदरीसी स्टाफ़ की एक माह की तनख़्वाह एक लाख पच्चास हज़ार रुपये (Rs.1,50,000) से ज़्यादा है। **सालाना ख़र्च** तक़रीबन चालीस लाख रुपये (Rs. 40,00,000)। **ज़रिया आमदनी** मुस्लिम अवाम के चंदे **अपील** आज के माद्दापरस्ताना और जदीद दौर में लड़कियों के लिए जदीद और मुकम्मल इस्लामी तर्ज़े-तालीम के साथ रिहाइशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर ज़रूरत है। • आप इस महंगाई को देखते हुए और रमज़ान के मुबारक मौक़ा पर इदारे की नन्ही-मुन्नी मासूम यतीम बच्चियों को ऊंचा उठाने के लिए अपने • ज़कात • अतियात • सदक़ात से भरपूर माली मदद करें ताकि वे तालीम और हुनर के मैदान में आगे बढ़ सकें और किसी से पीछे न रहें। • बाक़ी तामीरी व तालीमी मन्सूबों को पूरा करने के लिए रक़म की फ़ौरी ज़रूरत है। • इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना भरपूर माली तआवुन का मुंतज़िर है। **याद रखें** यह लड़कियों का इदारा है। यहां चंदा वसूल करने वालों की बहुत कमी है। यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन पर चंदा वसूल नहीं किया करता है।

नोट : इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी फ़िल्म (Documentary Film) नज़रे-इनायत You Tube (Nazr-e-Enayeth) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ यह लिखें : THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGAE

बराए राबिता चैक व ड्राफ़्ट और मनीआर्डर भेजने का पता

Founder & Hon. G. Secretary, THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE, At • : Kolowna, P.o : Cherki-824237, Distt : Gaya (Bihar) India

Email : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.Com, Mobile : 8969435151, Website : www.gmgo.in

: Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE
(Bank A/C No. : 300402010007752 (ज़कात
(Bank A/C No. : 300402010009846 (डोनेशन
Bank IFSC Code No : UBIN0530042
Bank : UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें : बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए मेहरबानी स्कैन एंड पै (Scan & Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) नाम व पता सहित व्हाट्स एप कर दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

व्हाट्स एप नम्बर 7367909126 बानी व इज़ाज़ी जनरल सेक्रेट्री इकबाल अहमद ख़ां 9934480190

पटना ब्रांच ऑफ़िस : पटना शहर के हमदर्द अपना चैक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता करें।

जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां (सद्र) समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9934943229

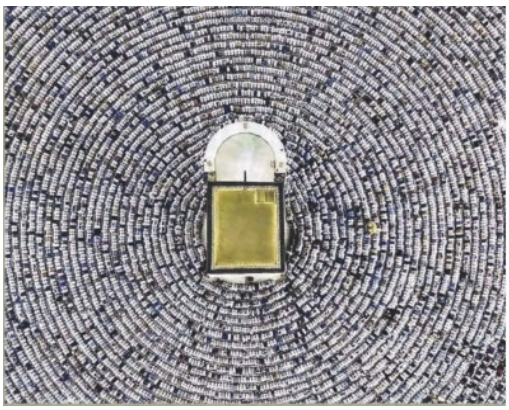
जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां, समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9631867066

यूडीएचआर और इस्लामी सिद्धांत: एक तुलनात्मक अध्ययन

डॉ॰ ख़ान यासिर

जस्टिस पी.के. शम्सुद्दीन की पुस्तक 'Human Rights in Islam' (इस्लाम में मानवाधिकार), मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता और धार्मिक तथा नैतिक परंपराओं में निहित उनके आधारों पर चल रही विश्वव्यापी बहस में एक संक्षिप्त किंतु सारगर्भित योगदान है। केरल हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा लिखी गई यह पुस्तक अपनी स्पष्टता, संक्षिप्तता और सरलता के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। न्यायिक लेखन में ऐसी विशेषता कम ही देखने को मिलती है। न्यायाधीशों की भारी-भरकम विधिक पुस्तकों के विपरीत, जस्टिस शम्सुद्दीन का यह कार्य सहज, व्यवस्थित और जटिल तकनीकी शब्दों से मुक्त है।

24 अध्यायों पर आधारित यह पुस्तक विधि विशेषज्ञों और आम पाठक, दोनों के लिए समान रूप से रोचक है। लेखक ने इसमें 1948 की यूनीवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (UDHR) के संदर्भ में इस्लामी दृष्टिकोण से मानवाधिकारों का अध्ययन करने का आमंत्रण दिया है।



जस्टिस के.एम. जोसेफ़ द्वारा लिखी गई प्रस्तावना ने इस पुस्तक को और अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। उन्होंने इसे आस्था और सार्वभौमिक नैतिकता के बीच समझ का सेतु बताया है। वे विशेष रूप से इस बात की सराहना करते हैं कि लेखक ने मुस्लिम महिलाओं की ऐतिहासिक उपलब्धियों को भी रेखांकित किया है—जैसे वर्ष 801 ईस्वी में बनी ज़ुबैदा नहर (Zubaida Canal) का उल्लेख, जो पुस्तक के 'लैंगिक न्याय' (Gender Justice) अध्याय में किया गया है। यह उदाहरण इस्लामी सभ्यता में महिलाओं के सामाजिक कल्याण और सार्वजनिक हित में योगदान को दर्शाता है।

पहला अध्याय वैचारिक है, जिसमें लेखक महाधिकार-पत्र (Magna Carta) को मानवाधिकार विमर्श का उद्गम मानने वाली पश्चिमी धारणा को चुनौती देते हैं। वे मानवाधिकार सिद्धांतकारों के "सांस्कृतिक पक्षपात" (Cultural Bias) और "संकीर्ण मानसिकता" (Narrow-mindedness) की आलोचना करते हैं, जो मानवाधिकारों को आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की देन मानते हैं। लेखक का तर्क है कि—"17वीं सदी तक पश्चिमी दुनिया को मानवाधिकारों की कोई समझ नहीं थी।" वे आगे लिखते हैं कि —

"पवित्र क़ुरआन, पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं और उपदेशों तथा पहले चार ख़लीफ़ाओं की परंपराओं का निष्पक्ष अध्ययन किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त है कि इस्लाम ने उस युग में मानवाधिकारों के वे सिद्धांत विकसित कर लिए थे, जब दुनिया अज्ञान और अंधकार में डूबी हुई थी।" (पृष्ठ 20) लेखक अपने तर्क को कई उल्लेखनीय उद्धरणों से पुष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, काउंट ऑस्ट्रोरॉग का यह कथन कि "इस्लामी क़ानून तार्किक रूप से अत्यंत संगत हैं और उसमें ग़ैर-मुस्लिम मतों के प्रति इतनी उदार सहनशीलता पाई जाती है कि पश्चिम को वैसी समानता अपनाने में एक हज़ार वर्ष लग गए।"

इसी तरह जस्टिस सी. जी. वीमंत्री का अवलोकन उद्धृत करते हैं कि —"इस्लाम में मानवाधिकार का सिद्धांत उसके मौलिक विश्वासों, अर्थात ईश्वर की सार्वभौमिक सत्ता और पैग़म्बर को प्रदत्त प्रकाशना (वह्य) से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। इन्हीं मूल सिद्धांतों से आधुनिक

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के सिद्धांत तर्कसंगत रूप से निकले हैं।" (पृष्ठ 23–25)

साथ ही लेखक यह खेद भी व्यक्त करते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) और उनके पहले चार उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित आदर्शों पर खरे नहीं उतर सके। वे लिखते हैं —

"एक विचारधारा और जीवन-पद्धति के रूप में इस्लाम का दर्शन अत्यंत उच्च और विशिष्ट है, किंतु जब तक इसे अपने शुद्धतम स्वरूप में व्यवहार में नहीं लाया जाएगा, तब तक यह मानवता को उस प्रकार आकर्षित नहीं कर सकेगा, जैसा कि यह अपने वास्तविक स्वरूप में करने का अधिकारी है।" (पृष्ठ 22)

लेखक ने पश्चिमी मानवाधिकार विचार की क्रमिक यात्रा—Petition of Right (1627) से लेकर Universal Declaration of Human Rights (1948)—तक को विस्तार से रेखांकित किया है। साथ ही उन्होंने ईमानदारीपूर्वक यूडीएचआर की सीमाओं को भी स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के पास "सदस्य राष्ट्रों द्वारा घोषित सिद्धांतों के अनुपालन की निगरानी करने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है " (पृष्ठ 21), जिसके कारण वह प्रायः एक असहाय और मूक दर्शक बनकर रह गया।

लेखक के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली राष्ट्रों की Veto Power और भेदभावपूर्ण नीतियों ने यूडीएचआर के प्रभावी क्रियान्वयन में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न कीं। इसके बावजूद, वे मानते हैं कि यूडीएचआर अब भी एक नैतिक दिशा-सूचक (Moral Framework) के रूप में मार्गदर्शक दस्तावेज़ है। इस प्रकार, पहला अध्याय आगे आने वाले तुलनात्मक विश्लेषण की सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार करता है।

अध्याय 2 से 20 तक लेखक ने यूडीएचआर के अनुच्छेदों की एक-एक करके इस्लामी सिद्धांतों से तुलना की है। ये सिद्धांत क़ुरआन, हदीस और इस्लामी इतिहास से उद्धृत किए गए हैं। यह तुलनात्मक ढाँचा न केवल इस्लाम की नैतिक गहराई और मानव गरिमा के प्रति उसकी संवेदनशीलता को उजागर करता है, बल्कि इस्लामी क़ानून और मानवाधिकारों से संबंधित प्रचलित भ्रांतियों को भी दूर करता है।

अंतिम चार अध्यायों में लेखक ने कुछ विशेष विषयों—Gender Justice (लैंगिक न्याय), Minority Rights (अल्पसंख्यक अधिकार), Islam's Socio-Economic Philosophy (इस्लामी सामाजिक-आर्थिक दर्शन) और Sharia और UDHR के बीच के अंतराल पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) और इस्लामी शिक्षाओं के बीच की समानताओं की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि इस्लामी सिद्धांत आधुनिक मानवाधिकारों की अवधारणा के साथ न केवल से मेल खाते हैं, बल्कि कई मामलों में उनसे आगे हैं। लेखक यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि मानवीय गरिमा, न्याय और सामाजिक उत्तरदायित्व की इस्लामी दृष्टि एक ऐसी शाश्वत नैतिक रूपरेखा प्रदान करती है, जो आज की वैश्विक मानवीय मूल्यों की भावना को पूर्णता देती है। लेखक इस बात पर ज़ोर देते हैं कि "...अन्य धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता पर्याप्त नहीं है। हमें सभी आस्थाओं के प्रति सच्चा सम्मान और गहरी समझ विकसित करनी चाहिए।" (पृष्ठ 12) यही विचार इस पुस्तक को इसका नैतिक उद्देश्य प्रदान करता है और समकालीन मानवाधिकार विमर्श में इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ा देता है।

पुस्तक में कई विचारोत्तेजक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं जो गहन चिंतन को आमंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, अध्याय 3 में, जहाँ UDHR के अनुच्छेद 3 में 'जीवन के अधिकार' पर चर्चा की गई है, लेखक ने क़ुरआन की आयतें (5:32, 17:33) और संबंधित हदीस उद्धृत करते हुए यह रेखांकित किया है कि "...नागरिकों के जीवन की रक्षा करने और उनके जीवन-स्तर को सुधारने के लिए सामाजिक कल्याणकारी उपाय करना राज्य का दायित्व है, जिसे इस्लाम ने अनिवार्य ठहराया है।" (पृष्ठ 36)

इसी तरह अध्याय 9 में, जिसमें आवागमन, निवास करने और शरण लेने के अधिकार (UDHR अनुच्छेद 13-14) पर चर्चा की गई है, लेखक लिखते हैं —

"हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 13 में वर्णित आवागमन की स्वतंत्रता केवल एक राज्य की सीमाओं के भीतर ही सीमित है। जबकि इस्लाम समस्त मानवता को एक परिवार के रूप में देखता है और भौगोलिक या अन्य कृत्रिम विभाजनों को स्वीकार नहीं करता। नागरिकता (citizenship) और

राष्ट्रीयता (nationality) की अवधारणा इस्लामी दृष्टि में अप्राकृतिक है। सारी ज़मीन और समुद्र ईश्वर के हैं, और लोगों को कहीं भी आने-जाने का अधिकार है।" (पृष्ठ 61)

पुस्तक में दिए गए सटीक सन्दर्भ, विचारोत्तेजक उद्धरण और समयानुकूल व्याख्याएँ इसके विमर्श को गहराई और गरिमा प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, अध्याय 2 में, जब UDHR के अनुच्छेद 1 और 2 में 'समानता और समान क़ानूनी संरक्षण के अधिकार' पर चर्चा की जाती है, तो लेखक स्वामी विवेकानंद का यह कथन उद्धृत करते हैं:

"जब कोई व्यक्ति मुसलमान बनता है, तो समूचा इस्लाम उसे बिना किसी भेदभाव के खुली बाँहों से भाई के रूप में स्वीकार करता है, ऐसा कोई अन्य धर्म नहीं करता। यदि किसी अमेरिकी या भारतीय ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो तुर्क का सुल्तान भी उसके साथ भोजन करने में संकोच नहीं करेगा।" (पृष्ठ 34)

इसी प्रकार, अध्याय 11 के अनुच्छेद 16 में जब 'परिवार स्थापित करने के अधिकार' पर चर्चा की जाती है, तो लेखक एनी बेसेंट का उद्धरण देते हैं, जिन्होंने कहा था कि महिलाएँ "इस्लाम में स्वतंत्र हैं, और अन्य धर्मों की अपेक्षा अधिक संरक्षित" हैं। (पृष्ठ 66)

पुस्तक में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक इस्लामी घोषणा (Universal Islamic Declaration of Human Rights - 1981) को परिशिष्ट (Annexure) के रूप में शामिल किया गया है, जिससे यह शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और नीतिनिर्माताओं के लिए एक मूल्यवान संदर्भ पुस्तक बन जाती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो धर्म और मानवाधिकार विमर्श के अंतर्संबंध (intersection) का अध्ययन करना चाहते हैं।

एक विस्तृत तुलना UDHR (Universal Declaration of Human Rights) और UIDHR (Universal Islamic Declaration of Human Rights) के बीच अत्यंत रोचक होगी और यह कार्य हम न्यायमूर्ति पी.के. शम्सुद्दीन से उनके अगले अकादमिक प्रयास के रूप में करने का अनुरोध करते हैं।

इस पुस्तक की एक विशेष सराहनीय विशेषता यह है कि इसमें गहन अध्ययन और विवेकपूर्ण प्रयास (इज्तिहाद-Ijtihad) को इस्लामी क़ानून के एक गतिशील सिद्धांत (dynamic principle) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक यह दिखाते हैं कि इस्लामी विधिक परंपरा (Islamic legal tradition) में ऐसे बौद्धिक स्रोत मौजूद हैं, जो बदलती मानवीय परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर देने की क्षमता रखते हैं।

पूरी पुस्तक में लेखक ने ग़ैर-मुस्लिमों के साथ व्यवहार पर विशेष बल दिया है। अध्याय 14 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करते हुए, वे इस्लामी सहिष्णुता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं — यह तर्क देते हुए कि इस्लाम धर्मों के बीच आपसी सम्मान की शिक्षा देता है और ईश्वर के संदेश की सार्वभौमिकता तथा विभिन्न सभ्यताओं और देशों में पैग़म्बरों की उपस्थिति को स्वीकार करता है। लेखक क़ुरआन की आयतें (2:62, 5:47, 5:69) उद्धृत करते हैं और बताते हैं कि क़ुरआन इस धारणा को अस्वीकार करता है। (पृष्ठ 104)

अध्याय 17 में, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार (UDHR अनुच्छेद 22) पर चर्चा करते हुए लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि इस्लाम लोक कल्याण और बुनियादी अधिकारों के मामलों में मुसलमानों और ग़ैर-मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। इसी तरह, अध्याय 22 में, जो इस्लाम और अल्पसंख्यकों पर केंद्रित है, लेखक मानवता को एक परिवार के रूप में देखने की अवधारणा, धर्म के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी प्रकार के बल प्रयोग न होने के क़ुरआनी सिद्धांत, मदीना चार्टर और पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वे पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की उस हदीस का भी उल्लेख करते हैं, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो कोई ग़ैर-मुस्लिम पर अत्याचार करेगा या उसके अधिकारों का उल्लंघन करेगा, तो पैग़म्बर (सल्ल.) क़ियामत के दिन उसके विरुद्ध गवाही देंगे। यह हदीस इस्लाम की न्यायप्रियता और करुणा के प्रति वचनबद्धता को सशक्त रूप से रेखांकित करती है।

ये चर्चाएँ समकालीन विमर्शों के साथ गहरे बौद्धिक संवाद और न्यायिक दृष्टि की परिपक्वता को दर्शाती हैं, हालांकि कुछ स्थानों पर इस्लामी न्यायशास्त्र (Islamic Jurisprudence) की गहराई को लेकर सतही समझ झलकती है, जो अधिक सूक्ष्म विश्लेषण की मांग करती है। ■■

समाधान

इन्सान की हैसियत से इन्सान के अधिकार

मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी

सबसे पहली चीज़ जो इस मामले में हमें इस्लाम के अन्दर मिलती है, वह यह है कि इस्लाम इन्सान की हैसियत से इन्सान के कुछ हक़ और अधिकार मुक़र्रर करता है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि हर इन्सान, चाहे वह अपने देश का हो या किसी दूसरे देश का, हमारी क़ौम का हो या किसी दूसरी क़ौम का, मुसलमान हो या ग़ैर-मुस्लिम, किसी जंगल का रहने वाला हो या किसी रेगिस्तान में पाया जाता हो — बहरहाल सिर्फ़ इन्सान होने की हैसियत से उसके कुछ हक़ और अधिकार हैं जिनको एक मुसलमान लाज़िमी तौर पर अदा करेगा और उसका फ़र्ज़ है कि वह उन्हें अदा करे।

ज़िन्दा रहने का अधिकार

इनमें सबसे पहली चीज़ ज़िन्दा रहने का अधिकार और इन्सानी जान के आदर का कर्तव्य है। क़ुरआन में फ़रमाया गया है कि —

"जिस आदमी ने किसी एक इन्सान को क़त्ल किया, बग़ैर इसके कि उससे किसी जान का बदला लेना हो, या वह ज़मीन में फ़साद फैलाने का मुजरिम हो, उसने मानो तमाम इन्सानों को क़त्ल कर दिया।" (5:32)

जहां तक ख़ून का बदला लेने या ज़मीन में फ़साद फैलाने पर सज़ा देने का सवाल है, इसका फ़ैसला एक अदालत ही कर सकती है। या अगर किसी क़ौम से जंग हो, तो एक बाक़ायदा हकूमत ही इसका फ़ैसला कर सकती है। बहरहाल किसी आदमी को व्यक्तिगत रूप से यह अधिकार नहीं है कि वह ख़ून का बदला ले या ज़मीन में फ़साद फैलाने की सज़ा दे। इसलिए हर इन्सान



पर यह वाजिब है कि वह हरगिज़ किसी इन्सान का क़त्ल न करे। अगर किसी ने एक इन्सान का क़त्ल किया, तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इन्सानों को क़त्ल कर दिया।

इसी बात को दूसरी जगह क़ुरआन में इस तरह दोहराया गया है —"किसी जान को हक़ के बग़ैर क़त्ल न करो, जिसे अल्लाह ने हराम किया है।" (6:152)

यहां भी क़त्ल की मनाही को ऐसे क़त्ल से अलग किया गया है जो हक़ के साथ हो, और हक़ का फ़ैसला बहरहाल कोई अधिकार रखने वाली अदालत ही करेगी। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने किसी जान के क़त्ल को शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क़रार दिया है — "सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क और किसी 'मनुष्य' को क़त्ल करना है।"

इन तमाम आयतों और हदीसों में स्वतंत्र रूप से 'मनुष्य' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसका अर्थ यह है कि यह हुक्म तमाम इन्सानों के लिए है। हर इन्सानी जान को हलाक करना हराम किया गया है। हर एक जान

को जीने और अपनी हिफ़ाज़त का पूरा अधिकार है।

नारी-गरिमा का आदर और सम्मान

इस्लाम के दिये हुए मानव अधिकारों में औरत की इस्मत और इज़्ज़त हर हाल में आदर के योग्य है, चाहे औरत अपनी क़ौम की हो या दुश्मन क़ौम की, जंगल-बियाबान में मिले या फ़तह किए हुए शहर में, हमारे अपने मज़हब की हो या दूसरे मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो। मुसलमान किसी हाल में भी उस पर हाथ नहीं डाल सकता। इसे हर हाल में हराम किया गया है, चाहे यह कुकर्म किसी भी औरत से किया जाये। इसकी सज़ा मुक़र्रर कर दी गई। यह हुक्म किसी शर्त के साथ बंधा हुआ नहीं है। औरत की इस्मत और इज़्ज़त पर हाथ डालना हर हालत में मना है और अगर कोई मुसलमान इस काम को करता है तो वह इसकी सज़ा से नहीं बच सकता, चाहे दुनिया में सज़ा पाए या आख़िरत (परलोक) में।

मदद पाने का अधिकार

क़ुरआन में यह हुक्म दिया गया है — "और मुसलमानों के माल में मदद मांगने वाले और महरूम रह जाने वाले का हक़ है।" (51:19)

अहम बात यह कि इस हुक्म में जो शब्द आए हैं, वे सबके लिए हैं, इसमें मदद करने को किसी धर्म-विशेष तक सीमित नहीं किया गया। दूसरे, यह हुक्म मक्का में दिया गया था, जहां मुस्लिम समाज का कोई बाक़ायदा वजूद ही नहीं था। इसलिए इस आयत का साफ़ मतलब यह है कि मुसलमान के माल पर हर मदद मांगने वाले और हर तंगदस्त व महरूम इन्सान का हक़ है। यह नहीं देखा जाएगा कि वह अपनी क़ौम या देश का है या किसी दूसरी क़ौम, देश या नस्ल से संबंध रखता है।

आपके पास हैसियत और सामर्थ्य हो और कोई ज़रूरतमंद आपसे मदद मांगे या आपको मालूम हो जाए कि वह ज़रूरतमंद है, तो आप उसकी मदद करें। ख़ुदा ने आप पर उसका यह हक़ क़ायम कर दिया है।

स्वतंत्रता का अधिकार

इस्लाम में किसी आज़ाद इन्सान को पकड़कर ग़ुलाम बनाना या उसे बेच डालना बिल्कुल हराम क़रार दिया गया है। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के साफ़ शब्द हैं —"तीन क़िस्म के लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ क़ियामत के दिन मैं ख़ुद इस्तिग़ासा (मुक़दमा) दाख़िल करूंगा। उनमें से एक वह आदमी है, जो किसी आज़ाद इन्सान को पकड़ कर बेचे और उसकी क़ीमत खाए।"

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) के इस फ़रमान के शब्द आम हैं, किसी एक क़ौम, नस्ल या देश के के लिए नहीं। पाश्चात्य लोगों को बड़ा गर्व है कि उन्होंने ग़ुलामी का ख़ात्मा किया है, हालांकि उन्हें यह क़दम उठाने का मौक़ा उन्नीसवीं सदी के मध्य में मिला। उससे पहले जिस बड़े पैमाने पर वे अफ़्रीक़ा से आज़ाद इन्सानों को पकड़-पकड़ कर अपनी नव-आबादियों में ले जाते रहे और उनके साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक करते रहे, उसका ज़िक्र उनकी अपनी लिखी हुई किताबों में मौजूद है।

न्याय पाने का अधिकार

यह एक बहुत अहम अधिकार है जो इस्लाम ने इन्सान को इन्सान होने की हैसियत से दिया है। क़ुरआन में आया है — "किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना न भड़का दे कि तुम नामुनासिब ज़्यादती करने लगो।" (5:8)

आगे चलकर इसी सिलसिले में फिर फ़रमाया — "और किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम इन्साफ़ से हट जाओ; इन्साफ़ करो, यही धर्मपरायणता से क़रीबतर है।" (5:8)

एक और जगह फ़रमाया गया — "ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! इन्साफ़ करने वाले और ख़ुदा वास्ते के गवाह बनो।" (5:8)

मालूम हुआ कि आम इन्सान ही नहीं, बल्कि दुश्मनों तक से इन्साफ़ करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इस्लाम जिस इन्साफ़ की दावत देता है, वह सिर्फ़ अपने देश या अपनी क़ौम के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवजाति के लिए है। हमारा रवैया यह होना चाहिए कि कोई आदमी भी हमसे नाइन्साफ़ी का अंदेशा न रखे और हम हर जगह हर आदमी के साथ न्याय का ख़याल रखें।

इन्सानी बराबरी

इस्लाम न सिर्फ़ यह कि किसी रंग या नस्ल के भेद-भाव के बिना तमाम इन्सानों में बराबरी को मानता है, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण नियम क़रार देता है। क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमाया है —"ऐ इन्सानो! हमने तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया।" (49:13)



इसका मतलब यह हुआ कि तमाम इन्सान अस्ल में भाई-भाई हैं, एक ही माँ और एक ही बाप की औलाद। इस्लाम के नज़दीक इन्सान पर इन्सान की बड़ाई सिर्फ़ पाकीज़ा किरदार और अच्छे आचरण के आधार पर है, न कि रंग, नस्ल, भाषा या राष्ट्र के आधार पर। और यह बड़ाई भी इस गरज़ से नहीं कि अच्छे किरदार वाले दूसरे पर अपनी बड़ाई जताएँ, क्योंकि बड़ाई जताना स्वयं में एक बुराई है। क़ुरआन कहता है – "हकीक़त में तुममें इज़्ज़त वाला वह है जो तुममें सबसे ज़्यादा ख़ुदा से डरने वाला है।" (49:13)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया —

"किसी अरबी को ग़ैर-अरबी पर कोई बड़ाई नहीं, न ग़ैर-अरबी को अरबी पर; न गोरे को काले पर और न काले को गोरे पर कोई श्रेष्ठता है। तुम सब आदम (अलैहि०) की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे।"

इस तरह इस्लाम ने तमाम मानव जाति में बराबरी क़ायम की और रंग, नस्ल, भाषा और राष्ट्र के सारे भेदभाव की जड़ काट दी। इस्लाम के नज़दीक यह हक़ इन्सान को सिर्फ़ इन्सान होने की हैसियत से हासिल है कि उसके साथ उसकी खाल के रंग या उसकी पैदाइश की जगह या उसकी नस्ल या क़ौम के आधार पर कोई भेदभाव न बरता जाए।

अमेरिका के अफ्रीकी नस्ल के मशहूर लीडर मैल्कम एक्स जो काली नस्ल के बाशिंदों की हिमायत में सफ़ेद नस्ल वालों के ख़िलाफ़ संघर्ष करता रहा था, मुसलमान होने के बाद जब हज के लिए गया और वहां उसने देखा कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, हर जगह के और हर रंग और नस्ल के मुसलमान एक ही लिबास में एक ख़ुदा के घर की तरफ़ जा रहे हैं, एक ही घर का तवाफ़ (परिक्रमा) कर रहे हैं, एक साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है, तो वह पुकार उठा कि यही है रंग और नस्ल के मसले का असली हल।

आज ख़ुद ग़ैर-मुस्लिम विचारक भी, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं हैं, यह मानते हैं कि इस मसले को जिस कामयाबी के साथ इस्लाम ने हल किया है, कोई दूसरा मज़हब या तरीका हल नहीं कर सका। ■■

इंटरव्यू

'ईश्वर ने सम्मान और स्वतंत्रता को मनुष्य के स्वभाव में रखा है, किसी भी स्तर पर इसका हनन अनुमेय नहीं।'

— डॉ॰ मुहियुद्दीन ग़ाज़ी



मानवाधिकारों की बहस को आगे बढ़ाते हुए "कान्ति" के उप-संपादक सुफ़ियान अहमद ने जमाअत इस्लामी हिन्द के सचिव डॉ. मुहीउद्दीन ग़ाज़ी से मानवाधिकारों की इस्लामी अवधारणा तथा इसके सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत है इस विस्तृत बातचीत के मुख्य अंश, जिसमें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक अवधारणा को धार्मिक और नैतिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया गया है।

सवाल : सबसे पहले तो हमारे पाठकों को मानवाधिकारों की इस्लामी संकल्पना के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं, इस्लामी दृष्टिकोण से "मानवाधिकार" (Human Rights) की अवधारणा की जड़ें कहाँ से प्रारंभ होती हैं?

मानवाधिकरों की इस्लामी संकल्पना या इस्लामी दृष्टिकोण से इसकी जड़ों की शुरुआत की यदि बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो क़ुरआन कहता है वह यह है कि—

"हमने आदम की सन्तान को श्रेष्ठता प्रदान की और उन्हें थल और जल में सवारी दी और उन्हें अच्छी पाक चीज़ों से उन्हें रोज़ी दी और अपने पैदा किए हुए बहुत-से प्राणियों की अपेक्षा उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की।" क़ुरआन, 17:70

यह आयत इस बात की पुष्टि करती है कि इंसान को अल्लाह (ईश्वर) ने स्वयं सम्मान और विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। यह सम्मान किसी वंश, जाति, धर्म या भाषा के कारण नहीं, बल्कि मानव होने के कारण है।

ईश्वर ने मनुष्य को न केवल जीवन दिया बल्कि बुद्धि, स्वतंत्र इच्छा (Free Will) और नैतिक ज़िम्मेदारी (Moral Responsibility) भी दी, जिससे वह अन्य समस्त प्राणियों और रचनाओं से श्रेष्ठ बना। अतः मानवाधिकार की अवधारणा उस सत्य से आरंभ होती है, जिसमें मनुष्य को अन्य समस्त प्राणियों और रचनाओं से श्रेष्ठ बनाया गया और अल्लाह ने इंसान को बहुत से अधिकारों और बड़े सम्मान के साथ इस दुनिया में बसाया। उसके सम्मान और अधिकारों से छेड़-छाड़ की अनुमति किसी को नहीं है। इस्लाम की अवधारणा यह

है कि इंसान को संपूर्ण मानवाधिकार के साथ पैदा किया गया है। सम्मान और स्वतंत्रता को अल्लाह ने इन्सान के स्वभाव में रखा है।

सवाल : क़ुरआन में "इंसान" को जो सम्मान और स्वतंत्रता दी गई है, उसका आधुनिक मानवाधिकार की अवधारणा से क्या संबंध है?

जैसा कि मैंने पहले कहा, सम्मान और स्वतंत्रता को अल्लाह ने इंसान के स्वभाव में रखा है। मानवाधिकारों की जो मौजूदा संकल्पना है वह कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं थी और उसकी खोज की गई हो। इस्लाम की दृष्टि से तो यह इंसानों को पैदाइशी तौर पर हासिल थे। समय के साथ इन्सानों ने ही इन्सानों से इसे छीन लिया था, लेकिन चूंकि यह इंसान के स्वभाव में थे, इसलिए इंसानों ने मानो उस पुकार को फिर से सुना। ऐसी हर कोशिश जो छीने हुए अधिकार को बहाल करे, इस्लाम उसका समर्थन करता है। ऐसी हर कोशिश क़ुरआन के अप्रोच के मुताबिक़ है।

सवाल : सैद्धांतिक रूप से आधुनिक युद्धनीति (Ethics of War) में भी अस्पताल, उपासना स्थल और नागरिक स्थानों को नुक़सान पहुँचाना वर्जित है, जिनेवा कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों के अस्तित्व में आने से सदियों पहले इस्लामी शरीअत ने भी युद्ध में कुछ सीमाएँ तय की हैं। क्या आप बताएंगे कि इस्लाम ने युद्धकाल में निर्दोष नागरिकों, बच्चों, और महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा सिद्धांत निर्धारित किए हैं?

इस्लाम ने युद्ध के लिए जो सिद्धांत निर्धारित किए, वे मानव इतिहास के सबसे प्रारंभिक "मानवीय युद्ध नियम" (Humanitarian War Codes) माने जा सकते हैं। क़ुरआन और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं में यह स्पष्ट निर्देश है कि युद्ध केवल आत्मरक्षा के लिए है, आक्रमण या विस्तार के लिए नहीं। निर्दोष नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों, किसानों, धार्मिक साधकों, और यहां तक कि वृक्षों और पशुओं को भी क्षति पहुँचाने की सख़्त मनाही है।

इस्लामी शरीअत का मूल सिद्धांत यह है कि युद्ध का उद्देश्य शत्रु का विनाश नहीं, अन्याय को रोकना है। इसलिए इस्लाम में युद्ध भी नैतिकता के अधीन है, और निर्दोषों की सुरक्षा को 'इबादत' (उपासना) के समान माना गया है।

क़ुरआन युद्ध को केवल अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में वैध ठहराता है, न कि आक्रामकता या विस्तार के साधन के रूप में। निर्दोषों की हत्या, स्त्रियों और बच्चों पर हिंसा तथा अमानवीय व्यवहार को पूर्णतः वर्जित किया गया है। क़ुरआन कहता है –

"और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज़्यादती न करो। निस्संदेह, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता।" क़ुरआन, 2:190

यह आयत स्पष्ट करती है कि युद्ध केवल आत्मरक्षा की सीमा में वैध है और उसमें भी नैतिक आचरण आवश्यक है। इसी संदर्भ में क़ुरआन आगे कहता है—

"यदि वे शान्ति और संधि की ओर झुकें तो तुम भी झुको और अल्लाह पर भरोसा रखो।" क़ुरआन, 8:61

इस्लाम ने युद्ध को कभी भी निर्दोषों के विनाश या प्रतिशोध का साधन नहीं बनाया। बल्कि क़ुरआन ने यह भी चेतावनी दी—

"इसी कारण हमने इसराईल की संतान के लिए लिख दिया था कि जिसने किसी व्यक्ति को किसी के ख़ून का बदला लेने या धरती में फ़साद फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से मार डाला तो मानो उसने सारे ही इन्सानों की हत्या कर डाली। और जिसने उसे जीवन प्रदान किया, उसने मानो सारे इन्सानों को जीवन दान किया। उनके

पास हमारे रसूल स्पष्ट प्रमाण ला चुके हैं, फिर भी उनमें बहुत-से लोग धरती में ज़्यादतियाँ करने वाले ही हैं।" क़ुरआन, 5:32

इस्लामी दृष्टि में युद्ध भी न्याय और करुणा की सीमाओं के भीतर है। क़ुरआन के अनुसार निर्दोष नागरिकों, बच्चों, स्त्रियों और निहत्थे लोगों को क्षति पहुँचाना, ईश्वर के न्याय की अवहेलना है। इस्लाम की यही शिक्षाएँ बाद में जिनेवा कन्वेंशन और आधुनिक "Ethics of War" के सिद्धांतों में भी प्रतिध्वनित होती हैं।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने सेनाओं को रवाना करते समय हिदायत दी थी: "किसी बच्चे, किसी स्त्री और किसी बूढ़े को मत मारो; पेड़ों को मत काटो, खेतों को मत उजाड़ो।" (हदीस-तिर्मिज़ी)

सवाल : आज ग़ज़्ज़ा में हुए मानवाधिकारों के विनाश को आप किस दृष्टि से देखते हैं?

जब निर्दोष नागरिकों, बच्चों और अस्पतालों को निशाना बनाया जाता है, तब यह स्पष्ट होता है कि शक्ति और स्वार्थ ने नैतिक विवेक को परास्त कर दिया है। यह उस "Ethics of War" का पूर्ण विघटन है, जिसकी रक्षा की ज़िम्मेदारी स्वयं सभ्य विश्व ने ली थी। ग़ज़्ज़ा की त्रासदी केवल एक भू-राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि आधुनिक मानवता की नैतिक पराजय है।

सवाल : भारत, जिसने हमेशा "इंसानियत" और "अहिंसा" का संदेश दिया, आज जब ग़ज़्ज़ा जैसी त्रासदियाँ हो रही हैं, तो मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत से किस प्रकार की नैतिक भूमिका की अपेक्षा की जा सकती है?

देखिए, भारतीय इतिहास का एक अहम पहलु हमेशा हमारे सामने होना चाहिए। हमने आज़ादी की लड़ाई के ज़रिए अपने देश को आज़ाद कराया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और ग़ुलामी का दर्द भी सहा। इसलिए आज़ादी की अहमियत को एक भारतीय जिस तरह महसूस कर सकता है, हो सकता है बहुत से दूसरे लोग न महसूस कर सकें। इसका तक़ाज़ा यह है कि हम आज़ादी की अहमियत को दूसरों के लिए भी महसूस करें। फ़िलिस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में हम उसी नज़रिये को अपनाएं जो हमने ख़ुद अपनी आज़ादी के लिए अपनाया था। यहां आज़ादी की लड़ाई का एक लंबा दौर गुज़रा है। आज़ादी की अहमियत को हम दूसरों से ज़्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं।

मानवाधिकारों की जो मौजूदा संकल्पना है वह कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं थी और उसकी खोज की गई हो। इस्लाम की दृष्टि से तो यह इंसानों को पैदाइशी तौर पर हासिल थे। समय के साथ इन्सानों ने ही इन्सानों से इसे छीन लिया था, लेकिन चूंकि यह इंसान के स्वभाव में थे, इसलिए इंसानों ने मानो उस पुकार को फिर से सुना। ऐसी हर कोशिश जो छीने हुए अधिकार को बहाल करे, इस्लाम उसका समर्थन करता है। ऐसी हर कोशिश क़ुरआन के अप्रोच के मुताबिक़ है।

इसलिए भारत जैसे देश की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। शायद यही वजह है कि जबसे यह मसला उठा

है, यानी 1948 के पहले से ही भारत फ़िलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में रहा है। यहां के बड़े लोग (गांधी जी से लेकर जवाहरलाल नेहरु और अटल बिहारी वाजपेयी तक) हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ खड़े रहे। भारत का रुख़ सदैव पीड़ित के पक्ष में और अत्याचार के ख़िलाफ़ रहा है। भारत का यही पक्ष और ज़्यादा मज़बूती के साथ सामने आना चाहिए। भारत सरकार और भारतीयों को शोभा यही देता है कि वह फ़िलिस्तीन की आज़ादी के पक्ष में और फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे ज़ुल्म के ख़िलाफ़ ताक़तवर आवाज़ उठाएं।

सवाल : "क़ौमी सरहदों से ऊपर उठकर" इंसानियत के पक्ष में आवाज़ बुलंद करने का जो सन्देश क़ुरआन देता है, क्या वह आज के राष्ट्रवाद (Nationalism) के सीमित दायरे को चुनौती देता है?

क़ुरआन का सन्देश मूलतः मानवता की एकता (unity of humankind) पर आधारित है, न कि जातीय या भौगोलिक सीमाओं पर। क़ुरआन कहता है —

"ऐ लोगो! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें जातियों और क़बीलों में बाँट दिया ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो।" (क़ुरआन, 49:13)

यहाँ विभाजन का उद्देश्य भेदभाव नहीं, परिचय है। अतः क़ुरआन जिस मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण की वकालत करता है, वह किसी विशेष राष्ट्र (exclusive nationalism) से ऊपर है।

इसका यह अर्थ नहीं कि राष्ट्र या मातृभूमि के प्रति प्रेम अनुचित है, बल्कि यह कि जब राष्ट्रवाद मानवता, न्याय और करुणा से ऊपर हो जाए, तब क़ुरआन की दृष्टि में वह संतुलन खो देता है। इसलिए कहा जा सकता है कि क़ुरआन "राष्ट्रवाद का विरोध" नहीं करता, बल्कि उसे नैतिक सार्वभौमिकता (moral universalism) की कसौटी पर परखता है, ताकि इंसानियत हमेशा राजनीति से ऊपर रहे।

सवाल : क्या मुसलमानों को भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कोई विशेष नैतिक दायित्व निभाने की आवश्यकता है ?

देखिए, भारत जैसे बहुलतावादी लोकतंत्र में मुसलमानों की ज़िम्मेदारी केवल अपने अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के नैतिक उत्थान तक फैली हुई है। क़ुरआन कहता है — "तुम एक ऐसी उम्मत बनो जो भलाई की ओर बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके।" क़ुरआन, 3:110

यह आयत मुसलमानों को केवल धार्मिक समुदाय नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व का दायित्व सौंपती है। इसलिए भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे न्याय, समानता और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक मूल्यों के संरक्षक बनें, चाहे वह किसी भी धर्म या वर्ग के व्यक्ति के लिए क्यों न हो।

सवाल : अंत में यह बताएं कि एक आम इंसान को क्या करना चाहिए कि वह वैश्विक अन्याय के बीच भी मानवाधिकारों के प्रति अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी निभा सके?

इस बारे में एक आम इंसान का पहला कर्तव्य है कि वह अन्याय को सामान्य न माने। क़ुरआन कहता है — "और न्याय पर दृढ़ रहो, चाहे वह तुम्हारे अपने विरुद्ध ही क्यों न हो।" (क़ुरआन, 4:135)

यह आयत व्यक्ति को उस नैतिक साहस का आदेश देती है जो हर ज़माने में इंसाफ़ को क़ायम करने की बुनियाद है। आज के वैश्विक अन्याय के दौर में आम इंसान अपनी क्षमता के अनुसार तीन स्तरों पर अपनी ज़िम्मेदारी निभा सकता है — विचार से, वाणी से, और व्यवहार से। विचार में अन्याय को अस्वीकार करना, वाणी से उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना, और व्यवहार में, उसे रोकने की कोशिश करना। ■■

समसामयिक

मतदाता सूची पुनिरक्षण या मताधिकार पर हमला ?



डॉ॰ प्रदीप कुमार

हमारे देश में में लोकतंत्र का मूलाधार वयस्क मताधिकार है। यही वह नींव है जिस पर जनता-राज की पूरी इमारत खड़ी होती है, लेकिन जब इसी नींव के नीचे से मिट्टी खिसकने लगे और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की आड़ में वैध नागरिकों के नाम काटे जाने की आशंका गहराने लगे, तो सवाल सिर्फ़ प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं रह जाता, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर चोट का बन जाता है।

चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) की घोषणा होते ही राजनीतिक हलक़ों में हलचल मच गई। विपक्षी दलों ने इस क़दम को चुनावी निष्पक्षता के बजाय सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक मंशा से प्रेरित बताया है। उनका आरोप है कि यह अभियान मतदाताओं की "सफ़ाई" नहीं, बल्कि "छँटाई" है, जिसमें ख़ास वर्गों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक और वंचित तबक़ों को योजनाबद्ध तरीक़े से सूची से बाहर करने की कोशिश की जा रही है।

चुनाव आयोग की दलील है कि यह अभियान एक सामान्य और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मृत, स्थानांतरित या अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाना और नए योग्य नागरिकों को जोड़ना है। लेकिन सवाल उठता है कि इस "नियमित प्रक्रिया" को अचानक विशेष अभियान के रूप में इतने सीमित समय में क्यों चलाया जा रहा है?

कई राज्यों में स्थानीय निकाय या विधानसभा चुनाव निकट हैं। ऐसे में मतदाता सूची का तेज़ी से पुनरीक्षण करना, वह भी एक निश्चित राजनीतिक समय-रेखा के भीतर, प्रशासनिक पारदर्शिता से अधिक राजनीतिक गणना का हिस्सा प्रतीत होता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह प्रक्रिया "चयनात्मक जांच" (selective verification) बन गई है, जिसमें कुछ विशेष इलाक़ों, जहां अल्पसंख्यक और ग़रीब तबक़े की आबादी अधिक है, में मतदाता सूची की छानबीन अधिक की जा रही है, जबकि समृद्ध क्षेत्रों में उसे औपचारिकता भर के रूप में निपटाया जा रहा है।

सबसे विवादास्पद बिंदु पुनरीक्षण प्रक्रिया में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में शुद्धता बनाए रखने के लिए आधार की आवश्यकता है, ताकि फ़र्ज़ी नाम हटाए जा सकें, लेकिन विपक्षी दल और नागरिक अधिकार समूह इसे "संविधान-विरोधी क़दम" मानते हैं।

आधार अधिनियम, 2016 की धारा-9 स्वयं कहती है कि आधार नंबर नागरिकता या अधिवास का प्रमाण नहीं है। फिर भी कई जगह स्थानीय अधिकारी मतदाता सूची में नाम बनाए रखने के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं। जिनके पास आधार नहीं है, ख़ासकर ग़रीब, प्रवासी, बेघर या सीमांत समुदाय—वे स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया में पिछड़ जाएंगे। यह सवाल उठाना लाज़मी है कि क्या यह अभियान मतदाता सूची की "सफ़ाई" के नाम पर मताधिकार की "छँटनी" का नया तरीक़ा बन रहा है?

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए जो समयसीमा तय की गई है, वह व्यावहारिक दृष्टि से बेहद कम है। लाखों मतदाताओं की पहचान, दस्तावेज़ सत्यापन और स्थल जांच जैसे जटिल कार्य इतने कम समय में निष्पक्ष और त्रुटिरहित ढंग से कैसे संभव होंगे?

ज़मीनी रिपोर्टें बताती हैं कि कई जगहों पर बूथ लेवल अधिकारी बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधनों के यह ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे ग़लती की संभावना बढ़ जाती है और जब ग़लती वोट देने के अधिकार से जुड़ी हो, तो वह किसी नागरिक के संवैधानिक अस्तित्व पर प्रहार है।

संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 21 "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की रक्षा की बात करता है। अगर किसी नागरिक का नाम बिना उचित जांच के मतदाता सूची से काट दिया जाता है, तो यह न केवल उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि लोकतांत्रिक असमानता की शुरुआत भी है।

ऐसे में आयोग का दायित्व केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि नैतिक और संवैधानिक दोनों है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण मताधिकार से वंचित न किया जाए।

विपक्षी दलों का कहना है कि वर्तमान माहौल में प्रशासनिक मशीनरी पर राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया है कि मतदाता सूची जैसी संवेदनशील प्रक्रिया भी निष्पक्ष नहीं रह गई है।

हमारे देश का लोकतंत्र भरोसे पर टिका है, भरोसा कि हर नागरिक का वोट समान मूल्य रखता है। लेकिन जब उस वोट के अस्तित्व पर ही संदेह पैदा हो जाए, तो लोकतंत्र का ढांचा भीतर से खोखला हो जाता है।

अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों में यह डर गहराता जा रहा है कि यह पुनरीक्षण अभियान एक तरह से "डिजिटल डीलिट" की प्रक्रिया है, जहां पहचान के दस्तावेज़ों और पते की औपचारिकताएं असली मुद्दे की जगह ले रही हैं। ये लोग पहले ही सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिये पर हैं, अब राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित किए जाने का भय उन पर मंडरा रहा है।

चुनाव आयोग भारत की सबसे सम्मानित संवैधानिक संस्थाओं में से एक है। उसका काम राजनीतिक दलों से ऊपर रहकर लोकतंत्र की निष्पक्षता को बनाए रखना है, लेकिन यदि उसके क़दमों पर लगातार राजनीतिक सवाल उठने लगें, तो यह केवल आयोग की साख का संकट नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न है।

विपक्ष का कहना है कि आयोग ने अपने निर्णय में पर्याप्त परामर्श नहीं किया। राज्यों को अचानक निर्देश भेजे गए, जिससे मतदाता पुनरीक्षण प्रशासनिक पारदर्शिता से अधिक राजनीतिक समयबद्धता का उपकरण बन गया।

यह सही है कि नागरिकों का कर्तव्य भी है कि वे अपनी जानकारी समय-समय पर अपडेट करें और मतदान प्रक्रिया में सक्रिय रहें, लेकिन जब राज्य-प्रायोजित प्रणाली ही विश्वास खोने लगे, तो नागरिक सहभागिता का आधार कमज़ोर पड़ जाता है।

संविधान का अनुच्छेद 326 स्पष्ट करता है कि वयस्क मताधिकार हर नागरिक का मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, किसी सरकार या अधिकारी की दया नहीं। इसलिए इस अधिकार की रक्षा करना परम आवश्यक है।

लोकतंत्र में चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि नागरिक समानता का उत्सव होते हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण यदि इस समानता की भावना को तोड़ने लगे, तो वह संविधान की आत्मा के विपरीत है।

सरकार और चुनाव आयोग को यह समझना होगा कि मतदाता सूची केवल आंकड़ों का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास का प्रतीक है। किसी भी दशा में लोगों के इस विश्वास को आघात नहीं पहुंचना चाहिए। लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि उनके वोट को सत्ता की सुविधा के अनुसार "ग़ायब" भी किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की कसौटी पर खरा उतरे। ■■

आर.एस.एस. के सौ साल : विरोधियों की कमज़ोरियों और ऐतिहासिक अवसरों का लाभ

संपादन प्रभाग

(संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर जमाअत इस्लामी हिन्द के अध्यक्ष सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी द्वारा एक उर्दू साप्ताहिक को दिए गये इन्टरव्यू का सार संक्षेप)

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस.) की स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं। हाल में ही इसने अपनी स्थापना का शताब्दी उत्सव भी मनाया। इस मौक़े पर इस संगठन का लंबा और विवादास्पद सफ़र मीडिया और सार्वजनिक हलकों में चर्चा का विषय रहा। इस पृष्ठभूमि में, हिंदूत्व के सिद्धांतों पर आधारित इस संगठन की विचारधारा, उद्देश्य और लक्ष्य को समझना बेहद ज़रूरी है।

तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक, उनके विरोधियों की कई ग़लतियाँ, दृष्टिकोण और कमज़ोरियाँ हैं, जिन्होंने उनके लिए अवसर पैदा किया। इसमें कांग्रेस और कई धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की अवसरवादी सोच और भ्रष्टाचार, समाजवादी, दलित और कम्युनिस्ट आंदोलनों की वैचारिक कमज़ोरी और आंतरिक संघर्ष, और ख़ुद मुसलमानों की रक्षात्मक राजनीति, भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ और संस्थागत कमज़ोरियाँ शामिल हैं।

आरएसएस की स्थापना के 100 साल के सफ़र को यदि समग्र रूप में देखें तो इसकी विचारधारात्मक, राजनीतिक और संगठनात्मक प्रगति के तीन मुख्य कारक हैं।

पहला कारक उनकी कुछ आंतरिक विशेषताएँ हैं। मज़बूत संगठन, दीर्घकालिक योजना, अनुशासन के साथ प्रशिक्षित कार्यकर्ता, हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुँच बनाने की कला, विरोधियों को अपने दायरे में लाने का कौशल, हर तरह की परिस्थितियों में धैर्य और संकल्प के साथ अपने उद्देश्यों के लिए संघर्ष, जैसी सकारात्मक विशेषताओं के साथ चालाकी, अवसरवादी सोच और शक्ति का अत्यधिक प्रयोग जैसी विशेषताओं ने भी उन्हें भौतिक लाभ पहुँचाया।

दूसरा, कुछ ऐतिहासिक संयोग हैं, जिनको कुशलता और रणनीति से उन्होंने अपने लिए अनुकूल बना लिया। इनमें अंग्रेज़ों का शासन और उसकी मजबूरियाँ, अंग्रेज़ों द्वारा पैदा किया गया हिंदू-मुस्लिम संघर्ष, देश का विभाजन, भारत-पाक युद्ध, इमरजेंसी का दौर, जनता सरकार, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और इससे पैदा हुए अवसर प्रमुख हैं।

तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक, उनके विरोधियों की कई ग़लतियाँ, दृष्टिकोण और कमज़ोरियाँ हैं, जिन्होंने उनके लिए अवसर पैदा किया। इसमें कांग्रेस और कई धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की अवसरवादी सोच और भ्रष्टाचार, समाजवादी, दलित और कम्युनिस्ट आंदोलनों की वैचारिक कमज़ोरी और आंतरिक संघर्ष, और ख़ुद मुसलमानों की रक्षात्मक राजनीति, भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ और संस्थागत कमज़ोरियाँ शामिल हैं।

कुछ लोग इसे केवल एक साम्प्रदायिक आंदोलन

मानते हैं, कुछ अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी आंदोलनों का भारतीय संस्करण मानते हैं, और कुछ ब्राह्मण वर्चस्व की ऐतिहासिक कोशिशों की निरंतरता मानते हैं, लेकिन इसका असली स्वरूप इन्हीं पर आधारित नहीं है। यह मूलतः एक वैचारिक और सांस्कृतिक आंदोलन है। भारत की पहचान, उसकी सामूहिक आकांक्षा, उसका नैतिक दृष्टिकोण और उसकी सामूहिक स्मृति को एकरंगी हिंदू पहचान में ढालना इसका असली लक्ष्य है।

अंग्रेज़ों के समय से ही हिंदू राष्ट्र का निर्माण उनकी प्राथमिकता थी। उनकी संकीर्ण दृष्टिकोण वाली साम्प्रदायिक विचारधारा मुसलमानों के स्थायी सांस्कृतिक आधार को चुनौती मानती थी। अंग्रेज़ों के साथ उनका संबंध इस बात को स्पष्ट करता है कि उनका असली निशाना विदेशी शक्ति नहीं बल्कि देश का एक वर्ग था।

स्वतंत्रता के बाद आरएसएस का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ। उन्होंने सेवा, प्रचार और प्रॉक्सी के ज़रिए धीरे-धीरे अपनी जगह बनाई। आज आरएसएस और उसके वैचारिक सहयोगी पूरी सत्ता में हैं और अपने मुस्लिम विरोधी एजेंडा को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में भारतीय मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मुसलमान इसकी असली प्रकृति को समझें। यह मुख्य रूप से वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन है। उनकी रणनीति का मुख्य लक्ष्य मुसलमानों के वैचारिक और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को ख़त्म करना है। मुसलमानों को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानसिक हर मोर्चे पर अलग थलग कर देना और उन्हें सांस्कृतिक रूप से पराजित करना उनका मुख्य उद्देश्य है।

'मुस्लिम आउटरीच' या संवाद की अब तक कोशिशें बहुत उत्साहजनक नहीं रही हैं। वास्तविक संवाद की जगह सिर्फ़ छवि सुधार की कोशिशें हुई हैं। सार्थक संवाद के लिए नैतिक समानता आवश्यक है। इसके बिना संवाद केवल आदेश की तरह है, और इसका कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकलता।

संघ हमेशा मुसलमानों की पहचान और राजनीतिक आवाज़ को कमज़ोर करता है। उनका 'सामूहिकता' का दृष्टिकोण सभी सांस्कृतिक विविधताओं को समाप्त करके एकरंग हिंदू सभ्यता में बदल देना है। ऐसे में मुसलमानों को केवल बयानबाज़ी नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना आवश्यक है। उन्हें रक्षा और बचाव की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। दीर्घकालिक बदलाव के लिए सहनशीलता, दृढ़ता और रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। मुसलमान अपने व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के माध्यम से इस्लाम का जीवंत प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।

मुसलमानों को यह समझना होगा कि अत्यधिक राष्ट्रवादी आंदोलनों की शक्ति अंततः अस्थायी होती है। इतिहास हमें बताता है कि ऐसे नकारात्मक दौर अक्सर बड़े सुधारों के मार्ग का पहला चरण बनते हैं। मुसलमानों को इस चरण की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति के ज़रिये न्याय और समानता पर आधारित नई राजनीति का प्रसार आवश्यक है।

यह भी समझना होगा कि अत्यधिक राष्ट्रवादी आंदोलनों की शक्ति अंततः अस्थायी होती है। इतिहास हमें बताता है कि ऐसे नकारात्मक दौर अक्सर बड़े सुधारों के मार्ग का पहला चरण बनते हैं। मुसलमानों को इस चरण की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति के ज़रिये न्याय और समानता पर आधारित नई राजनीति का प्रसार आवश्यक है। ■■

प्रेरणा

जो 'अब्र' यहाँ से उट्ठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा

संपादन प्रभाग

कभी-कभी कोई ख़बर अपने भीतर एक पूरे इतिहास की कहानी छिपाए होती है। हाल में ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की ताज़ा उपलब्धि भी ऐसी ही एक कहानी है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की जो सूची जारी की है, उसमें एएमयू के 46 शोधकर्ताओं के नाम शामिल हैं। यह उपलब्धि केवल एक संस्थान की नहीं, बल्कि उस बौद्धिक परंपरा की पहचान है जिसने ज्ञान, शोध और विचार को अपनी सबसे बड़ी विरासत माना है।



यह सूची विश्वभर के शीर्ष प्रतिशत वैज्ञानिकों की पहचान करती है, जो Scopus डेटाबेस से प्राप्त बिब्लियोमेट्रिक संकेतकों पर आधारित होती है। इसमें शोधकर्ताओं के उद्धरणों की संख्या, H-index, और सह-लेखन पैटर्न जैसे मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूची में शामिल होने के लिए शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान देना होता है।

अलीगढ़ हमेशा से विचाशील लोगों की भूमि रहा है। यहां की प्रयोगशालाओं में न केवल रासायनिक यौगिक (chemical compounds) बनते हैं, बल्कि विचारों के नए तत्व भी तैयार होते हैं। यहां के शोध कक्षों में जो दीपक जलते हैं, उनकी रौशनी अक्सर देश की सीमाओं से भी बहुत दूर तक जाती है। यही कारण है कि एएमयू के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर यह साबित किया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों की पहचान केवल अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य दोनों में जीवित है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद ख़ाँ ने की थी, उनका उद्देश्य था कि भारतीय समाज में वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता का प्रसार हो। आज, एएमयू उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वैश्विक शोध समुदाय में अपनी पहचान बना रहा है और अपने तराने (anthem) की प्रसिद्ध पंक्ति "जो अब्र (बादल) यहाँ से उट्ठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा" के भाव को चरितार्थ करने के मार्ग पर अग्रसर है।

स्टैनफोर्ड की यह सूची कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। इसे तैयार करने में 'Elsevier' और 'Scopus' जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं ने मिलकर 22 वैज्ञानिक विषयों और 174 उपक्षेत्रों में शोध के प्रभाव (research impact) का विश्लेषण किया है। इसका मूल्यांकन "c-score" के माध्यम से हुआ, जिसमें यह देखा गया कि शोधकर्ता

के कार्यों का वैज्ञानिक समुदाय में कितना वास्तविक प्रभाव पड़ा है, उनके उद्धरण (citations) कितनी बार दिए गए हैं और उनके सहयोगात्मक योगदान (co-authorship pattern) ने ज्ञान के प्रसार में कितना योगदान दिया है।

इस सूची में कृषि सूक्ष्मजीवविज्ञान (Agricultural Microbiology), रसायनशास्त्र (Chemistry), जैव रसायन (Biochemistry), भौतिकी (Physics), प्राणिविज्ञान (Zoology), नैनोटेक्नोलॉजी (Nanotechnology), वनस्पति विज्ञान (Botany), गणित (Mathematics) और औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry) जैसे विविध विषयों से जुड़े एएमयू के वैज्ञानिक शामिल हैं।

यह गौरव इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय विश्वविद्यालयों के सामने शोध की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाने की चुनौती बढ़ती जा रही है। ऐसे में एएमयू के ये 46 नाम इस बात के प्रतीक हैं कि यदि संस्थागत ईमानदारी (institutional integrity) और शोध-समर्पण (research commitment) क़ायम रहे, तो वैश्विक पहचान स्वयं चलकर द्वार पर आती है।

यह उपलब्धि यह भी दिखाती है कि किसी विश्वविद्यालय की साख केवल उसके भवनों या भव्य परिसरों से नहीं बनती, बल्कि उसकी प्रयोगशालाओं में बैठे उन गुमनाम वैज्ञानिकों से बनती है, जो अपने प्रयोगों से मानवता के लिए नयी संभावनाएं खोज रहे हैं। यह उनके मौन परिश्रम का फल है कि आज अलीगढ़ का नाम वैश्विक शोध मानचित्र पर एक बार फिर चमक रहा है।

यह गौरव इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह ऐसे समय में आया है जब भारतीय विश्वविद्यालयों के सामने शोध की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल खाने की चुनौती बढ़ती जा रही है। ऐसे में एएमयू के ये 46 नाम इस बात के प्रतीक हैं कि यदि संस्थागत ईमानदारी (institutional integrity) और शोध-समर्पण (research commitment) क़ायम रहे, तो वैश्विक पहचान स्वयं चलकर द्वार पर आती है।

वास्तव में, यह केवल 46 शोधकर्ताओं का सम्मान नहीं है, बल्कि एक ऐसी सामूहिक अकादमिक चेतना का सम्मान है, जिसने हमेशा ज्ञान को एक सामाजिक उत्तरदायित्व (social responsibility) की तरह देखा।

अलीगढ़ की यह पहचान नई नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ाँ के समय से ही यह संस्थान विचार, विज्ञान और सामाजिक प्रगति का त्रिकोण रहा है। उन्होंने जो बीज बोया था, वह अब नई दिशाओं में फैल चुका है। उस बीज से निकला यह "अब्र" अब पूरी दुनिया में बरस रहा है। एएमयू की यह उपलब्धि ने न केवल विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है, बल्कि उन असंख्य छात्रों के लिए भी प्रेरणास्रोत जो समाज, देश और मानवता के कुछ कर गुज़ने का जज़्बा रखते हैं।

एएमयू न केवल एक शैक्षिक संस्थान है, बल्कि यह भारतीय समाज में सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विविधता, बौद्धिक परंपरा और मानवता के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक भी है। आशा है कि अलीगढ़ का यह अब्र भविष्य में भी हर छात्र, शोधकर्ता और समाज के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा और दुनिया भर में ज्ञान, विज्ञान की बारिश करता रहेगा। नए विचारों, नई खोजों और नए दृष्टिकोणों के साथ। ■■

विचारणीय

मां के पवित्र रिश्ते का यह कैसा सम्मान?

ज़हीर ललितपुरी

इन्सान की सबसे बड़ी दौलत मां होती है। जिसके पास मां है वह दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। मां और औलाद का जो रिश्ता होता है उससे बढ़कर कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता। दुनिया के मालिक ने कायनात में जितनी भी नेमतें उतारी हैं उनमें सबसे बड़ी नेमत मां है। इस बात को साबित करने के लिये न किसी धार्मिक सबूत की ज़रूरत है, न किसी अदालत की दलील और नज़ीर की ज़रूरत है। मां की अहमियत को साबित करने के लिये सबूत और दलील के लिये सिर्फ़ मां की हक़ीक़त को पेश किया जा सकता है। मां अपनी नज़ीर ख़ुद है।

किसी एक मां को गालियां देना पूरी औरत जाति को गाली देने के समान है। बहनों की बुरी-बुरी अश्लील गालियां देकर लोग पूरी औरत जाति का अपमान करते हैं। वे लोग कितने नादान हैं जो अपनी और दूसरों की मां की अहमियत में फ़र्क समझते हैं। अगर हम अपनी मां की महानता को समझते हैं तो उसी अज़मत का तक़ाज़ा यह है कि हम दूसरों की मां की अज़मत समझें और किसी की भी मां, बहन, बेटी को गाली न दें।

दूसरे की मां को गाली देना अपनी मां को गाली देने के समान है। जिस मां ने हमें अपनी कोख़ से जन्म दिया है, उसकी तुलना भी किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। तभी तो हम धरती को मां कहते हैं, जन्मभूमि को मां कहते हैं, अपने देश को मां कहते हैं, अपनी मातृभाषा यानी मादरी ज़बान मां की तरह प्यार करते हैं, लेकिन अफ़सोस तब होता है जब लोग मां की अहमियत को इस तरह से मां-बहनों की बुरी-बुरी अश्लील गालियां देते समय नज़रअंदाज़ कर देते हैं। अपनी मां की ख़िदमत न करना, उसकी उपेक्षा करना, बात-बात में उसे ज़लील करना एक सभ्य समाज के माथे पर कलंक तो है ही, लेकिन किसी की मां के साथ अश्लील रिश्ते को जोड़कर गाली-गलौज करना या हंसी-मज़ाक़ और प्यार-मुहब्बत में एक-दूसरे की मां से गंदा रिश्ता जोड़ना कौन सी सभ्यता है।

इन्सानी समाज में बहुत सारे ऐसे इन्सान होते हैं जो अपनी जन्मभूमि, मातृभाषा, देश, नदियों और जानवरों का सम्मान तो मां की तरह करने का दावा करते हैं, कहते हैं कि मां के क़दमों में जन्नत है, लेकिन जब कभी ग़ुस्से में बेक़ाबू हो जाते हैं तो गाली-गलौज करते समय मां के सम्मान में ऐसे-ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जिन्हें पवित्र ज़बान से बोलने में शर्म आती है। ऐसे लोगों की नज़र में मां का कितना सम्मान है, उनके गाली-गलौज के शब्दों से पता चल जाता है। मां के लिये अपमानजनक, गंदे और अश्लील शब्दों से बनी गालियां लोग सिर्फ़ लड़ाई-झगड़े या ग़ुस्से की हालत में अथवा नशे की हालत में ही नहीं देते बल्कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि प्यार-मुहब्बत की भाषा में इन गंदे शब्दों को इस्तेमाल करने में ज़िल्लत महसूस करने के बजाय बड़ी लज़्ज़त महसूस करते हैं।

ताहम अगर लोग मां की गाली देने से तौबा कर लें तो हर औरत की अज़मत बढ़ जाएगी। दुनिया में कौन ऐसा इन्सान होगा जो अपनी मां की इज़्ज़त नहीं करता होगा। जैसी अपनी मां की इज़्ज़त होती है वैसी ही दूसरे की मां की भी इज़्ज़त होती है। जिस तरह हमारे लिये हमारी मां देवी के समान है और उसके क़दमों में जन्नत है, उसी तरह दूसरों के लिये भी उसकी मां सम्मानीय होती है। इसलिए अगर हमें अपनी मां की गाली सुनना पसन्द नहीं तो उसी तरह किसी अन्य को भी मां की गाली सुनना पसन्द नहीं होगा। अगर सब लोग ऐसा सोचें तो मां के पवित्र रिश्ते का बहुत बड़ा सम्मान होगा। बल्कि लोग मां, बहन, बेटी की गाली देना बन्द कर दें तो समस्त स्त्री जाति का बहुत बड़ा सम्मान होगा। ■■

शादी से अलग होने के लिए औरत का अधिकार

मुनव्वर सुल्तान नदवी

अक्सर यह कहा जाता है कि इस्लाम में तलाक़ का अधिकार सिर्फ़ मर्द को है, औरत को तलाक़ का अधिकार नहीं है, मर्द जब चाहे औरत को तलाक़ दे सकता है। इसके उलट औरत मजबूर होती है, वह अपने पति की कृपा पर निर्भर रहती है। यह धारणा जहाँ आम देशवासियों में पाई जाती है, वहीं बहुत से मुसलमानों के दिमाग़ में भी यही बात होती है। यह एतिराज़ बहुत पुराना है और इसकी गूँज अक्सर सुनाई देती रहती है। कुछ कथित मुस्लिम बुद्धिजीवियों की रचनाओं में भी यह दर्द



झलकता है। 'मुस्लिम औरत की मजबूरी और बेबसी' के नाम पर असल निशाना इस्लाम पर लगाया जाता है कि इस्लाम ने मर्द और औरत में भेदभाव किया है, मर्द को ज़्यादा अधिकार दिए हैं और औरत को कम। इसे सरासर नाइंसाफ़ी और औरत पर ज़ुल्म बताया जाता है।

हक़ीक़त यह है कि इस्लाम में औरत को जितने अधिकार मिले हैं, उतने किसी अन्य धर्म या किसी सभ्य समाज में नहीं मिले। औरतों के अधिकारों के तथाकथित समर्थक और 'महिला स्वतंत्रता' के रखवालों ने औरत की इज़्ज़त का सबक़ खुद इस्लाम से सीखा है। फिर यह कैसे संभव है कि वही धर्म जो औरतों को अधिकार देने में सबसे आगे हो, उसी धर्म में औरत के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो जाए? इस मामले में जहाँ दूसरों की चालाकी शामिल है, वहीं इस्लामी शिक्षाओं से अनजान होना और इस्लाम की अधूरी जानकारी भी एक कारण है।

निकाह/विवाह की अवधारणा हर धर्म में मौजूद है। धर्मों में आमतौर पर निकाह को एक पवित्र कार्य, एक अनुबंध (समझौता) और सामाजिक रस्म माना गया है। इस्लाम ने निकाह को एक पूरा और व्यवस्थित रूप दिया, जो इबादत (उपासना), अनुबंध और अधिकारों एवं कर्तव्यों पर आधारित है। निकाह का पूरा ढांचा औरत की इज़्ज़त, उसके अधिकारों की हिफ़ाज़त और औरत के प्रति मर्द की जवाबदेही पर आधारित है। इस्लाम में जिस तरह मर्द और औरत दोनों के अधिकार और कर्तव्य साफ़ तौर पर तय किए गए हैं, और जिस तरह बच्चों की परवरिश, घर की ज़िम्मेदारी और परिवार के पालन-पोषण का बोझ मर्द के कंधों पर रखा गया है, उसकी

मिसाल किसी और धर्म में नहीं मिलती।

इस्लाम ने ही औरत को यह सम्मान दिया कि निकाह के लिए उसकी रज़ामंदी ज़रूरी है। औरत की मंज़ूरी के बिना निकाह नहीं हो सकता। बालिग़ लड़की को अपनी पसंद के मुताबिक़ निकाह करने का अधिकार है। औरत की आज़ादी की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? इस्लाम में निकाह इबादत भी है और अनुबंध भी। इबादत का मतलब यह है कि निकाह केवल सामाजिक ज़रूरत पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि दुनिया और आख़िरत (परलोक) में सफलता का भी ज़रिया है। इसी लिए हदीसों में निकाह को "ईमान का आधा हिस्सा पूरा करना करना" कहा गया है।

निकाह का अनुबंध होना यह दिखाता है कि इस अनुबंध की पाबंदी करना ज़रूरी है, लेकिन यह अनुबंध अटूट नहीं है कि कभी ख़त्म ही न हो सके, न ही यह 'सात जन्मों का साथ' है। निकाह से सिर्फ़ दो लोगों का रिश्ता नहीं बनता, बल्कि एक परिवार अस्तित्व में आता है। पवित्र क़ुरआन में पति-पत्नी को एक-दूसरे के लिए सुकून का साधन बताया गया है:

"और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हीं में से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मुहब्बत और रहमत रख दी।" क़ुरआन, 30:21

इसीलिए निकाह का काम सोच-समझकर और पूरी गंभीरता से होना चाहिए। रिश्ता जुड़ने के बाद पूरी कोशिश होनी चाहिए कि यह रिश्ता पक्का और स्थायी हो। इस्लाम में तय समय के लिए निकाह (मतलब अस्थायी निकाह) को मना किया गया है।

लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पति-पत्नी के बीच वैसा मेलजोल और समझ नहीं बन पाती जैसी होनी चाहिए, जिससे यह रिश्ता निभाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस्लाम में साफ़ निर्देश मौजूद हैं।

पवित्र क़ुरआन में पति-पत्नी के बीच झगड़ों को सुलझाने के लिए चार तरीक़े बताए गए हैं: — पहला, प्यार और नरमी से समझाना। दूसरा, बिस्तर अलग करना। तीसरा, हल्की डाँट-फटकार और चौथा परिवार के समझदार लोगों के ज़रिए सुलह कराना। इन उपायों को अपनाने से बहुत से झगड़े आसानी से ख़त्म हो जाएंगे।

इन कोशिशों के बाद भी हालात ठीक न हों और यह साफ़ हो जाए कि दोनों के स्वभाव इतने अलग हैं कि साथ रहना मुमकिन नहीं है तो ऐसी स्थिति में अलग होने के तरीक़ों पर विचार करना चाहिए।

क़ुरआन का साफ़ आदेश है कि अगर पति-पत्नी साथ रहना चाहते हैं तो अच्छे ढंग से जीवन बिताएँ और अगर ऐसा संभव न हो तो अच्छे और सम्मानजनक तरीक़े से अलग हो जाएँ:

"या तो भले तरीक़े से साथ रहो या अच्छे ढंग से अलग हो जाओ।" क़ुरआन, 2:229

घुट-घुटकर मरने, घर को तबाह करने और बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने से बेहतर है कि इस रिश्ते को ख़त्म करके दोनों अपनी-अपनी अलग ज़िंदगी गुज़ारें।

निकाह ख़त्म करने के कई तरीक़े हैं — जैसे तलाक़, ख़ुलाअ, मुबारात, फ़स्ख़ और तफ़रीक़ आदि। तलाक़ का अधिकार मर्द को दिया गया है। इसके दो मुख्य कारण हैं — पहला, मर्द घर का ज़िम्मेदार और प्रभारी होता है; दूसरा, मर्द की तुलना में औरत ज़्यादा भावुक होती है। प्रकृति ने औरत को बच्चे की परवरिश और घर संभालने की ज़िम्मेदारी दी है, इसलिए उसमें भावनाएँ मर्द के मुक़ाबले ज़्यादा होती हैं। इसी तरह औरत जल्दी प्रभावित भी होती है। इस दृष्टि से तलाक़ का अधिकार मर्द को दिया गया ताकि वह सोच-समझकर इसका इस्तेमाल करे।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मर्द को मनमानी की पूरी आज़ादी है कि जब चाहे तलाक़ दे दे।

अलग होने से पहले क़ुरआन की हिदायतों के मुताबिक़ पहले बताई गई चारों कोशिशें की जाएं। अगर इसके बाद भी सुधार न हो, तब अलग होने का फ़ैसला किया जा सकता है। अगर मर्द इस्लामी हिदायतों को नज़रअंदाज़ करके तलाक़ देता है तो यह गुनाह होगा, क्योंकि हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद चीज़ तलाक़ है।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फरमाया:

"अल्लाह के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे नापसंद तलाक़ है।" (हदीस सुनन अबू दाऊद, किताब अल-तलाक़, हदीस: 2180)

शरीअत में तलाक़ के तरीक़े बताए गए हैं, उसी के मुताबिक़ तलाक़ देना चाहिए ताकि तलाक़ के बाद सोच-विचार और दोबारा साथ रहने की गुंजाइश बाक़ी रहे।

अगर औरत को पति के साथ रहना मुश्किल लगे, जैसे पति ज़ुल्म करता है, उसके अधिकार न निभाता हो, या किसी गंभीर बीमारी में है, ऐसी स्थिति में औरत भी अलग होने का रास्ता चुन सकती है। अलगाव के इस रूप 'ख़ुलाअ' कहा जाता है। क़ुरआन में ख़ुलाअ का ज़िक्र मौजूद है:

"अगर तुम्हें डर हो कि वे अल्लाह की हदों पर क़ायम न रहेंगे तो औरत जो कुछ देकर छुटकारा हासिल करना चाहे उसमें उन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं।" क़ुरआन, 2:229

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के दौर में कई सहाबियात ने अपने पतियों से ख़ुलाअ लिया था, जैसे रबीअ बिंत मऊज़ बिन अफ़रा और साबित बिन क़ैस की बीवी हबीबा बिन्ते सहल का मामला हदीस की किताबों में दर्ज है। ख़ुलाअ निकाह से अलग होने के लिए औरत के पास शरीअत का दिया हुआ एक अधिकार है, लेकिन जैसे मर्द के लिए बिना वजह तलाक़ देना गुनाह है, वैसे ही औरत के लिए बिना वजह ख़ुलाअ माँगना भी गुनाह है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फरमाया:

"जो औरत बिना किसी कारण अपने पति से तलाक़ माँगे, उस पर जन्नत की ख़ुशबू हराम है।" (हदीस:सुनन तिर्मिज़ी, 1225)

औरत ख़ुलाअ के ज़रिए अपने पति से रिश्ता ख़त्म कर सकती है। अगर औरत ख़ुलाअ लेना चाहे तो पति के लिए उसे देना अनिवार्य है या नहीं, इस बारे में फ़ुक़हा (विद्वानों) में मतभेद है। हदीसों से मालूम होता है कि जिन सहाबियात ने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के पास अपने पतियों की शिकायत की, आपने उनके मामले सुलझाए, कभी ख़ुलाअ से, कभी तलाक़ से। और यही बात बुद्धिसंगत भी है, क्योंकि अगर कोई औरत साथ रहना नहीं चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता।

मुस्लिम समाज में आमतौर पर ख़ुलाअ को बहुत मुश्किल समझा जाता है, हालांकि यह एक आसान प्रक्रिया है। इसके लिए अदालत या दारुल-क़ज़ा जाना ज़रूरी नहीं। बस एक लिखित समझौता होना चाहिए, जिसमें लिखा जाए कि औरत की दरख़्वास्त पर पति उसे तलाक़ दे रहा है। इस पर पति-पत्नी और दो गवाहों के दस्तख़त हो जाएँ तो उसी वक्त से दोनों के बीच अलगाव हो जाएगा।

ख़ुलाअ नहीं मिलेगा तो मुमकिन है कि औरत अलगाव के लिए कोई दूसरा तरीक़ा अपनाने के लिए मजबूर हो। ख़ुलाअ की स्थिति में औरत अपने पति से अलग होने की दरख़्वास्त करती है और बदले में मह्र, इद्दत का ख़र्च या कोई और तयशुदा रक़म वापस करती है। इस तरह आपसी समझौते से दोनों के बीच अलगाव हो जाता है।

मुस्लिम समाज में आमतौर पर ख़ुलाअ को बहुत मुश्किल समझा जाता है, हालांकि यह एक आसान

प्रक्रिया है। इसके लिए अदालत या दारुल-क़ज़ा जाना ज़रूरी नहीं। बस एक लिखित समझौता होना चाहिए, जिसमें लिखा जाए कि औरत की दरख़्वास्त पर पति उसे तलाक़ दे रहा है। इस पर पति-पत्नी और दो गवाहों के दस्तख़त हो जाएँ तो उसी वक्त से दोनों के बीच अलगाव हो जाएगा। अगर कोई झगड़ा हो, जैसे दहेज के सामान की वापसी या बच्चों की परवरिश का मामला तो इन्हें भी ख़ुलाअ के समझौते में तय कर लेना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद बाक़ी न रहे।

निकाह का असल मक़सद आपसी सुकून है। अगर किसी वजह से यह सुकून न मिले, ज़िंदगी कड़वी बन जाए, निभाना मुश्किल हो जाए, तो समझदारी यही है कि रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए। न पति को ज़ुल्म की इजाज़त है, न औरत को घुट-घुटकर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। घर के बड़े और समझदार लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अगर पति-पत्नी में झगड़ा बढ़ जाए तो उन्हें नरमी से समझाएँ, सुलह कराएँ, और अगर अलग होना बेहतर लगे तो शरीअत के मुताबिक़ अलगाव का रास्ता अपनाएँ।

हमारे समाज की बड़ी विडंबना यह भी है कि जब बहन या बेटी की शादी होती है तो बड़े धूमधाम से करते हैं, अपनी इच्छाएँ और अरमान पूरे करते हैं, लेकिन जब उसी बेटी या बहन को शादी में परेशानी आने लगती है या उसका रिश्ता नहीं निभ पाता, तो ऐसे मौक़े पर उनकी मदद के लिए खड़े नहीं होते, उनका साथ नहीं देते। दुर्भग्य से अगर ऐसी औरत अलग होकर मायके लौट आए तो उसे तिरस्कार से देखा जाता है और कई बार उसे अपनाने में भी हिचक महसूस की जाती है। जबकि पिता-बेटी या भाई-बहन का रिश्ता हमेशा बाक़ी रहता है।

शादी के बाद बहन पराई नहीं हो जाती बल्कि ऐसी औरत और ज़्यादा सहानुभूति की हक़दार होती है। इस मामले में मर्दों के मुक़ाबले औरतें ज़्यादा तंग नज़र साबित हुई हैं। शरीअत का साफ़ नियम है कि जैसे शादी से पहले लड़की की ज़िम्मेदारी बाप पर होती है, वैसे ही शादी के बाद भी अगर अलगाव हो जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर से बाप पर होगी। यही बात भाई और चाचा पर भी लागू होती है।

निकाह ख़त्म होने की सूरत में अगर औरत की संतान कमाने लायक़ है तो उसकी ज़िम्मेदारी उन्हीं पर लागू होगी। बच्चों के छोटे होने या न होने की सूरत में ज़िम्मेदारी पिता पर है। अगर पिता समर्थ नहीं है तो भाई पर और उसके बाद चाचा पर औरत की देखभाल अनिवार्य है। यह शरीअत की ज़िम्मेदारी है और इसमें कोताही बरतने पर आख़िरत (परलोक) में जवाबदेही होगी।

मौजूदा दौर में औरतों में ख़ुलाअ लेने का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। निकाह से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए, लेकिन जब एक बार रिश्ता हो जाए तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। घरेलू समस्याओं से भागना समस्याओं का समाधान नहीं है। मतभेद के कारणों को समझें, अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, दूसरे के अधिकारों का भी ख़याल रखें। संयुक्त परिवार में सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। इसी तरह उदारता और समझदारी की हर क़दम पर ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर इन बातों पर अमल किया जाए तो वैवाहिक जीवन बेहतर बनाया जा सकता है।

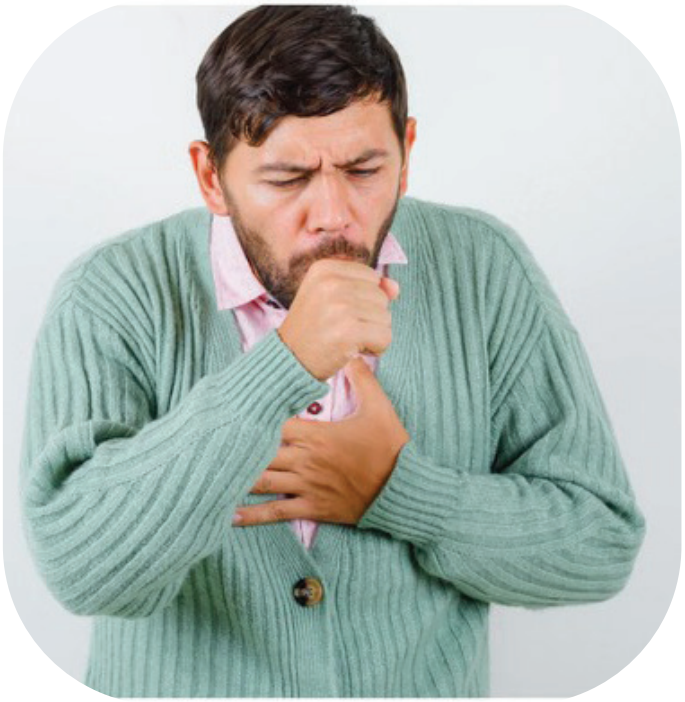
घर को शांतिपूर्ण बनाना मर्द और औरत दोनों की ज़िम्मेदारी है। ज़रूरत पड़ने पर दोनों को क़ुर्बानी देनी चाहिए। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने जहाँ औरत के लिए पति की ख़ुशी को जन्नत में दाख़िले का कारण बताया, वहीं आपका फ़रमान है कि मर्द के अच्छे आचरण की पहचान यह है कि वह अपनी बीवी के साथ कैसा व्यवहार करता है। {साभार, हादिया ई-मैगज़ीन (उर्दू)} ■■

सेहत

सर्दियों में रखें सेहत को सुरक्षित

संपादन प्रभाग

आमतौर पर सर्दियों का मौसम सेहत के लिहाज़ से अच्छा माना जाता है, लेकिन इस मौसम में यदि थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, तो सेहत के लिए समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सर्दियों का आनंद उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस मौसम में अपने शरीर की ज़रूरतों को समझें, उसकी सुरक्षा करें और प्राकृतिक तरीक़े से ख़ुद को मज़बूत बनाएं। जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, वैसे-वैसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को अधिक सतर्कता और पोषण की आवश्यकता होती है। इस समय हमारा शरीर अपने तापमान को बनाए रखने में अतिरिक्त ऊर्जा ख़र्च करता है, जिससे थकान, संक्रमण और रोगों का ख़तरा बढ़ जाता है। अतः सर्दियों में सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है।



संतुलित आहार

सर्दियों में शरीर को ऊर्जा, गर्माहट और पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। आहार में विटामिन-सी, विटामिन-डी, कैल्शियम, और एंटीऑक्सीडेंट्स की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

इस मौसम के फल सेब, संतरा, अमरूद, केला, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और किशमिश न केवल गर्माहट देते हैं, बल्कि शरीर में आवश्यक वसा और खनिज भी पहुँचाते हैं।

हरी सब्ज़ियाँ पालक, मेथी, सरसों का साग और बथुआ, रक्त को शुद्ध करने और हड्डियों को मज़बूती देने में सहायक हैं। वहीं, दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद विटामिन-डी और कैल्शियम के उत्कृष्ट स्रोत हैं। ये सर्दियों में हड्डियों के दर्द, जकड़न और थकान को कम करते हैं।

सर्दियों में प्यास कम लगती है, परंतु जल सेवन की कमी शरीर में विषाक्त तत्वों को रोक सकती है। इसलिए दिनभर में गुनगुना पानी, सूप या हर्बल ड्रिंक लेना आवश्यक है।

नियमित व्यायाम

ठंड के कारण लोग अक्सर व्यायाम से दूरी बना लेते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब शरीर को सक्रिय रहना सबसे ज़रूरी है। व्यायाम न केवल रक्त संचार (Blood Circulation) को बेहतर बनाता है, बल्कि शरीर को ठंड के अनुकूल भी बनाता है। सुबह का

समय बहुत ठंडा हो तो दोपहर या शाम के समय में थोड़ा व्यायाम ज़रूर करें।

व्यायाम से पहले वार्म-अप करना अनिवार्य है ताकि मांसपेशियों में जकड़न न हो। इसके साथ-साथ, ठंड से बचाव के लिए परतदार कपड़े पहनें जो शरीर की गर्मी को बनाए रखें।

नींद और आराम

अच्छी नींद सर्दियों में सेहत का सबसे अनदेखा पहलू है। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद शरीर को पुनः स्फूर्ति देती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाती है। नींद की कमी हार्मोनल असंतुलन, थकान और रोग-प्रतिरोधक क्षमता में कमी का कारण बनती है। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाएं, कमरे का तापमान संतुलित रखें और हल्का भोजन करें।

हीटिंग उपकरणों का सुरक्षित उपयोग

सर्दियों में गीज़र, ब्लोअर और हीटर का उपयोग आम बात है, परंतु इनके अनुचित इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता (Carbon Monoxide Poisoning) या आग जैसी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कमरे में वेंटिलेशन (हवा का उचित प्रवाह) हो, हीटर को रात भर चालू न रखें और बिजली के उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों से परहेज़

इस मौसम में खीरा, तरबूज और नारियल पानी जैसी ठंडी तासीर वाली चीज़ें शरीर में बलगम बढ़ा सकती हैं और सर्दी-ज़ुकाम को आमंत्रण दे सकती हैं। इसके विपरीत, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी और गुड़ का सेवन शरीर को गर्म रखता है और संक्रमण से बचाता है। एक चम्मच गुड़ और थोड़ा अदरक रोज़ाना भोजन के बाद लेने से पाचन सुधरता है और गले में राहत मिलती है।

बुज़ुर्गों और बच्चों की अतिरिक्त देखभाल

सर्दियों में बुज़ुर्गों को हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत अधिक होती है। बच्चों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर रहती है। ऐसे में उनके लिए अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक है। बुज़ुर्गों को धूप में कुछ समय बिताने दें, जिससे विटामिन-डी प्राकृतिक रूप से मिले। बच्चों के कपड़े परतदार हों ताकि तापमान के अनुसार उन्हें उतारा या पहना जा सके। अपने आस-पड़ोस के अकेले रह रहे बुज़ुर्गों का भी हालचाल लेते रहें, यह सामाजिक स्वास्थ्य का हिस्सा है।

त्वचा और बालों की देखभाल

ठंडी हवा और नमी की कमी से त्वचा फटने और बालों के रूखेपन की समस्या आम होती है। इसलिए रोज़ाना मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करें और हफ़्ते में दो बार गुनगुने तेल से सिर की मालिश करें। बाल धोने के तुरंत बाद हीटिंग टूल्स का प्रयोग न करें, इससे जड़ें कमज़ोर होती हैं। त्वचा की सफ़ाई के लिए साबुन की जगह हल्के क्लींजर या बेसन-दही का प्रयोग अधिक लाभकारी है।

संक्रमण से बचाव

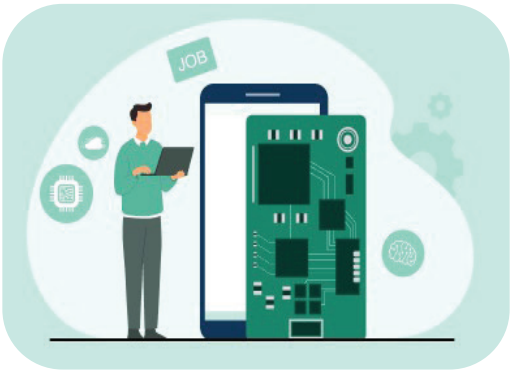
सर्दियों में घर बंद रखने की प्रवृत्ति के कारण वायरस तेज़ी से फैल सकते हैं। इसलिए स्वच्छता और वेंटिलेशन का ध्यान रखें। यदि सर्दी-ज़ुकाम या फ्लू के लक्षण हों, तो सार्वजनिक स्थानों से दूरी बनाए रखें और घर पर आराम करें। इससे न केवल आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि दूसरों को संक्रमण से भी बचाएंगे।

एक सजग जीवनशैली अपनाकर हम सर्दियों में सुरक्षित रह सकते हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, और सावधानी, सर्दियों को स्वास्थ्य दायक बना सकते हैं। इसलिए इस सर्दी में अपने शरीर को लापरवाही से बचाएं। ■■

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

संपादन प्रभाग

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं के लिए न केवल आकर्षक, बल्कि अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आज के डिजिटल युग में इस क्षेत्र का महत्व केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक शक्ति, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार की दिशा में भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। चाहे चिप डिजाइनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग या पैकेजिंग–हर क्षेत्र में पेशेवरों के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है।



भारत में इस क्षेत्र का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। विदेशी निवेशक और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत को एक स्थिर और आकर्षक निवेश स्थल मान रही हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक यह क्षेत्र लगभग 10 लाख नौकरियां उपलब्ध कराएगा, जो युवाओं के लिए करियर की अपार संभावनाओं को इंगित करता है। यह वही दौर है, जब 1990 के दशक में आईटी सेक्टर युवाओं के लिए क्रांतिकारी अवसर लाया था।

डिजिटल युग में सेमीकंडक्टर का महत्व

आज की दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, इलेक्ट्रिक वाहन, मेडिकल उपकरण, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) से लैस मशीनें – इन सभी की धड़कन सेमीकंडक्टर चिप है। यह चिप जितनी छोटी होगी, उसका महत्व उतना ही बड़ा होगा। चिप की दक्षता, गति और गुणवत्ता सीधे तौर पर उत्पाद की क्षमता और प्रदर्शन को प्रभावित करती है। यही वजह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति इसी पर निर्भर है।

भारत लंबे समय तक इस क्षेत्र का केवल उपभोक्ता रहा है, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित किया है और इसे उपभोक्ता से निर्माता में बदलने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में अरबों रुपये का निवेश किया जा चुका है, और भविष्य में और भी बड़े निवेश की योजना है। इसका अर्थ स्पष्ट है: भारत के युवा अब केवल तकनीक का इस्तेमाल करने वाले नहीं, बल्कि उसके निर्माता भी बन सकते हैं।

भारत में सेमीकंडक्टर बूम

साल 2021 में भारत सरकार ने 76 हजार करोड़ रुपये का सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन पैकेज लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत को केवल चिप डिजाइनिंग हब ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का वैश्विक केंद्र बनाना भी है। गुजरात के डोलेरा में फैब्रिकेशन प्लांट की नींव रखी गई है, वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट्स स्थापित की जा रही हैं।

अमेरिका, ताइवान और जापान जैसी देशों की कंपनियां भारत में इस क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि साल 2030 तक यह क्षेत्र 10 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराएगा। भारत न केवल आत्मनिर्भर बनना चाहता है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन

में निर्णायक भूमिका भी निभाना चाहता है। यही कारण है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज कैरियर बूम के मुहाने पर खड़ी है।

करियर विकल्प और संभावनाएं

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मल्टीडिसीप्लिनरी है। यह केवल इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मैकेनिकल, कैमिकल, फिजिक्स, मैटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए अवसर हैं।

- **चिप डिजाइनिंग:** वीएलएसआई, डिजिटल और एनालॉग सर्किट डिजाइन में विशेषज्ञ इंजीनियरों के लिए बेहतरीन अवसर हैं। प्रमुख कंपनियों में इंटेल, पोलकॉम, एनवीडिया और एमडी शामिल हैं।
- **फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग:** फैब्रिकेशन प्लांट्स में मशीनरी, उत्पादन और प्रोसेस इंजीनियरिंग की भूमिकाएं उपलब्ध हैं। प्रमुख कंपनियां हैं माइक्रोन, वेदांता और फोक्सकॉन जेवी।
- **टेस्टिंग और पैकेजिंग:** यह विभाग तैयार चिप का परीक्षण, पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण करता है। इसमें ऑटोमेशन/प्रोसेस इंजीनियरों के लिए भी अपार अवसर हैं।
- **नैनो मैटीरियल्स रिसर्चर और आईटीआई तकनीशियन:** नैनो रिसर्चर क्वांटम चिप्स और नई सामग्रियों पर काम करते हैं, जबकि तकनीशियन मशीन संचालन, मेंटेनेंस और सपोर्ट जैसे रोल में फिट होते हैं।

योग्यता

- बीटेक/एमटेक छात्र – इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, केमिकल और नैनो टेक्नोलॉजी में।
- एमएससी/पीएचडी – फिज़िक्स, मैटीरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स।
- डिप्लोमा और आईटीआई – इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में।

पढ़ाई और प्रवेश के रास्ते

- आईआईटी/एनआईटी/आईआईएससी/एमटेक/एमएस/पीएचडी वीएलएसआई, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर फिजिक्स में।
- ग्रेड (GATE) स्कोर: उच्च अध्ययन में प्रवेश का आधार।
- नई यूनिवर्सिटी/संस्थान: आईआईटी मंडी (सेमीकंडक्टर बी.टेक), एसपीयू वल्लभ विद्यानगर (एमएससी सेमीकंडक्टर साइंस)।
- एआईसीटीई अप्रूव्ड कोर्सेज: 600 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक हब।
- ऑनलाइन/शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन: आईआईटी कानपुर, कोर्सेरा, ईडीएक्स, चिनोपसिस और केडेनस से संबंधित वीएलएसआई ट्रेनिंग।

पैकेज और नौकरी की संभावनाएं

- **फ्रेशर्स (बीटेक):** 6–12 लाख रुपये सालाना।
- एमटेक (आईआईटी/एनआईटी/आईआईएससी): 12–20 लाख रुपये सालाना।
- पीएचडी/रिसर्चर: 30–35 लाख रुपये सालाना।
- **विदेशी कंपनियों में:** 50 लाख रुपये सालाना या उससे ऊपर।

युवाओं के लिए संदेश

भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर आज उसी मोड़ पर खड़ा है, जहाँ 1990 के दशक में आईटी सेक्टर खड़ा था। आने वाले दशक में यह न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि लाखों युवाओं के लिए नए दरवाज़े खोलेगा। जो छात्र आज इस क्षेत्र में क़दम रखेंगे, वे कल के चिप योद्धा कहलाएंगे।

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में करियर केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है। यह युवाओं को नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है। इस क्षेत्र में कदम रखने वाला हर युवा तकनीकी और आर्थिक क्रांति का हिस्सा बन सकता है।

इसलिए यदि आप इंजीनियरिंग, विज्ञान या तकनीक के छात्र हैं और भविष्य में अपने कौशल के लिए स्थायी और उच्च वेतन वाले अवसर खोज रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। ■■

धर्म समाज

समरसता का मूलाधार

मुहम्मद अनस, उत्तराखंड

पड़ोसियों से मुहब्बत (प्रेम) बनाए रखने की शिक्षाएँ लगभग सभी प्रमुख धर्मों में दी गई हैं। यह एक सार्वभौमिक मानवीय सिद्धांत है, जिसे विभिन्न धर्मों ने अपने-अपने तरीक़े से महत्व दिया है। प्रमुख धर्मों में शिक्षाएँ:

इस्लाम

इस्लाम में पड़ोसियों के अधिकारों पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने इस बात पर इतना ज़ोर दिया कि उनके साथियों ने सोचा कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में अधिकार न मिल जाएं। क़ुरआन और हदीस (पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल. के कथन) में पड़ोसियों के साथ दया, सम्मान और अच्छा व्यवहार करने, उनकी जरूरतों का ख़याल रखने और उन्हें किसी भी तरह का नुक़सान न पहुँचाने की सख़्त हिदायतें हैं, चाहे पड़ोसी किसी भी धर्म का हो।

ईसाई धर्म

"अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो" (Love your neighbor as yourself) का सिद्धांत ईसाई धर्म में एक केंद्रीय शिक्षा है। यीशु मसीह ने इस आज्ञा को ईश्वर से प्रेम करने के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा बताया। 'अच्छा सामरी' का दृष्टांत (Parable of the Good Samaritan) यह स्पष्ट करता है कि "पड़ोसी" की परिभाषा किसी विशेष समुदाय या धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हर वह व्यक्ति शामिल है जिसे मदद की ज़रूरत है। यहूदी धर्म : यह सिद्धांत मूल रूप से यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ लेव्यव्यवस्था (Leviticus 19:18) से आता है, जिसमें कहा गया है, "तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो"। यहूदी धर्म में भी पड़ोसियों के साथ निष्पक्ष और दयालु व्यवहार पर बल दिया गया है।

हिन्दू धर्म

हिन्दू धर्म में भी "वसुधैव कुटुम्बकम्" (पूरी पृथ्वी एक परिवार है) की अवधारणा है। वैदिक शिक्षाएं सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर के दर्शन करने और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा देती हैं। पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य और सम्मान भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं।

बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म में भी सभी प्राणियों के प्रति 'मैत्री' (loving-kindness) और करुणा (compassion) की शिक्षा दी जाती है। यह सिद्धांत पड़ोसियों सहित सभी लोगों के साथ निःस्वार्थ प्रेम और दयालुता से व्यवहार करने का आधार है। संक्षेप में, सभी धर्म मानवता के कल्याण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं, जिसमें पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

■■

विविधा

विकसित भारत में फिर एक बेटी की बलि

समी अहमद

प्रदेश के शाहजहाँपुर से हाल ही में आई एक ख़बर ने मानो हमारी आत्मा को झकझोर दिया है। यह ख़बर हमें सदियों पीछे उस अंधेरे में धकेल देती है, जिसे हमने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया समझा था। एक मासूम नवजात बच्ची को सजाया गया, उसके माथे पर तिलक लगाया गया और फिर उसे ज़िंदा ज़मीन में दफ़ना दिया गया। संयोग से उसकी दबती हुई चीख़ें एक राहगीर ने सुन लीं और बच्ची को मिट्टी के ढेर से निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया।

कई लोगों को यह अविश्वसनीय लगेगा कि वर्ष 2025 में, एक ऐसे देश में जिसे "विश्वगुरु" और "विकसित भारत" कहा जा रहा है, इतनी अमानवीय घटना घट सकती है। मगर यह कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। और अफ़सोस की बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ; इस तरह की ख़बरें पहले भी बार-बार हमारे सामने आई हैं।

बचपन में मैंने पढ़ा था कि इस्लाम-पूर्व अरब में बेटियों को बोझ समझा जाता था और ज़िंदा दफ़ना दिया जाता था। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं ने उस अमानवीय रिवाज़ का अंत किया और एक ऐसे समाज की बुनियाद रखी, जिसने बेटियों की गरिमा और उनके अधिकारों को स्वीकार किया, लेकिन आज डेढ़ हज़ार साल बाद, यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि वही अंधकार आधुनिक भारत में फिर से लौटता दिखाई देता है।

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया यह नारा निस्संदेह आकर्षक और प्रेरणादायक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संदेश सचमुच उन जगहों तक पहुँच रहा है, जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या समाज सचमुच इसे सुन और समझ रहा है?

शाहजहाँपुर जैसी घटनाएँ अलग-थलग नहीं हैं। आए दिन नवजात बच्चियों के नाले में फेंके जाने, कूड़े के ढेर पर छोड़ दिए जाने या खेतों में मरने के लिए छोड़ दिए जाने की ख़बरें आती रहती हैं। कई बार इन्हें जानवरों से बचाया जाता है, कई बार मौत से खींचकर लाया जाता है, और बहुत कम ही ऐसी बच्चियाँ ज़िंदा बच पाती हैं।

किसी बच्ची को ज़िंदा दफ़ना देना केवल किसी एक व्यक्ति की क्रूरता नहीं है, बल्कि यह ऐसे समाज का आईना है जो अब भी पितृसत्ता, पूर्वाग्रह और औरत की अवहेलना की गहरी ज़ंजीरों में बँधा हुआ है। यह पूरे समाज की विफलता है।

और शायद सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस तरह की घटनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया और जनमानस की गंभीरता में वह जगह ही नहीं पातीं, जो उन्हें मिलनी चाहिए। आज जब हर छोटी-बड़ी ख़बर "ब्रेकिंग न्यूज़" बन जाती है और वीडियो चंद घंटों में वायरल हो जाते हैं, तब इतनी भयावह घटना सुर्ख़ियों और बहसों के केंद्र में क्यों नहीं होती? जब इतनी आदिम और डरावनी घटना घटती है, तो पूरा देश सामूहिक आत्ममंथन क्यों नहीं करता?

आज भी भारत के कई हिस्सों में औरतों को "डायन" बताकर मारा जाता है। लड़कियों से शिक्षा का हक़, आत्मनिर्णय और जीने का अधिकार तक छीन लिया जाता है। और यह समस्या केवल गाँवों तक सीमित नहीं है; यह मानसिकता हर वर्ग और हर भूगोल में फैली हुई है। जब तक इस मानसिकता का इलाज नहीं होगा, तब तक कोई भी नीति, नारा या योजना कारगर नहीं होगी।

शाहजहाँपुर की घटना हमें हिला देने वाली होनी चाहिए। यह हमें भीतर तक विचलित कर देनी चाहिए। यह हमें मजबूर करे कि हम लिंग न्याय की स्थिति पर कठोर सवाल उठाएँ। और सबसे बढ़कर, यह घटना हमें एक वादा करने पर मजबूर करे कि नागरिक हों या नेता, संस्थाएँ हों या परिवार, अब और कोई बेटी केवल "बेटी होकर जन्म लेने" की वजह से यातना और मौत का शिकार नहीं बनेगी।

हम अक्सर पूछते हैं, "भारत कब इन घातक सामाजिक बुराइयों से मुक्त होगा?" असली सवाल यह है, "क्या हम सचमुच इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं?" ■■

डिजिटल पड़ोस: आभासी संबंधों की विस्तृत दुनिया

इरफ़ान वहीद

आधुनिक डिजिटल तरक़्क़ी ने "पड़ोसीपन" के विचार में ज़बरदस्त बदलाव ला दिया है। आज के हंगामी माहौल में करोड़ों लोगों की सुबह उन वर्चुअल (आभासी) समुदायों की ख़बरों और संदेशों से होती है जो भौगोलिक सीमाओं से बंधे नहीं हैं। हमारा पड़ोस अब सिर्फ़ हमारे घरों के पास या आस-पास के घरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब हमारे पड़ोसियों में वे लोग भी हैं जिनसे हमारा लगातार संबंध फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, स्लैक और दूसरे प्लेटफ़ॉर्मों के ज़रिए बनता है। यह प्लेटफ़ॉर्म वह डिजिटल मोहल्ले हैं, जिन पर भी असली पड़ोस जैसा ही एहसास होता है, क्योंकि लोगों से बातचीत, लेन-देन और रिश्तों की वही दुनिया यहां भी आबाद है जो असली पड़ोस में होती है। फ़र्क सिर्फ़ फ़िज़िकल और वर्चुअल परदे का है।



"डिजिटल पड़ोस" से अभिप्राय किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी या प्रोफ़ेशनल नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म पर लोगों का किसी ख़ास या आम मक़सद से अस्थायी या लंबे समय के लिए एक-दूसरे से जुड़ना है। यह एक ऐसा वर्चुअल स्पेस है जहाँ समान रुचि, उद्देश्य या पहचान वाले लोग आपसी संपर्क, सहयोग और रिश्ते बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। भौगोलिक पड़ोस के उलट, ये डिजिटल समुदाय प्राकृतिक सीमाओं, समय क्षेत्रों और सांस्कृतिक बाधाओं से मुक्त होते हैं, जिससे वैश्विक एकता और सहयोग के बेमिसाल मौक़े पैदा होते हैं।

आँकड़े देखिए, फ़ेसबुक हर महीने 3 अरब से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं की मेज़बानी करता है, जबकि व्हाट्सऐप रोज़ाना 100 अरब से ज़्यादा संदेशों का आदान-प्रदान कराता है। लिंक्डइन जैसे पेशेवर प्लेटफ़ॉर्म करियर निर्माण के ज़रूरी औज़ार बन चुके हैं, जो दुनिया भर के 930 मिलियन पेशेवरों को आपस में जोड़ते हैं। डिजिटल स्पेस ने मुस्लिम समुदाय को भी आपसी भाईचारे के रिश्ते मज़बूत करने, धार्मिक ज्ञान के प्रसार और सीमाओं से परे एक-दूसरे की मदद करने के क़ाबिल बनाया है, जिसकी इससे पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी।

इंसानों पर सामूहिक जीवन में जो सामाजिक नियम और सिद्धांत लागू होते हैं, वे डिजिटल दुनिया में ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन जब डिजिटल पड़ोसी इन नियमों को नज़रअंदाज़ करते हैं और एक-दूसरे के अधिकारों की परवाह नहीं करते, तो उसके नतीजे व्यक्तिगत रिश्तों की ख़राबी से कहीं ज़्यादा गंभीर होते हैं। बिगड़े हुए पड़ोसी असली ज़िंदगी की तरह यहाँ भी एक-दूसरे के लिए परेशानी

का सबब बनते हैं।

साइबर अपराध भी ऐसे ही बिगड़े हुए डिजिटल पड़ोसियों का नतीजा हैं, जिनके चलते वैश्विक आर्थिक नुक़सान हर साल 7 से 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। जबकि कार्यस्थल पर रवैयों के बिगाड़ से जो अब ज़्यादातर डिजिटल फॉर्मेट में अंजाम पता है, सिर्फ़ अमेरिकी कारोबार को हर साल 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुक़सान होता है।

कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर इंटरनेट के इस्तेमाल में 50 से 70 प्रतिशत तक इज़ाफ़ा हो गया, लेकिन इसके साथ साइबर उत्पीड़न और डिजिटल अराजकता में भी बड़े पैमाने पर इज़ाफ़ा हुआ। कुछ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म तो सबसे बुरे मानवीय व्यवहारों के औज़ार बन गए, जिनमें ट्रोलिंग, उत्पीड़न, गोपनीयता का उल्लंघन और तेज़ी से झूठी सूचनाओं का प्रसार शामिल है।

इन व्यवहारों का आर्थिक नुक़सान आँखें खोल देने वाला है। ऑनलाइन उत्पीड़न से आमदनियों का भारी नुक़सान हो रहा है। डिजिटल रवैयों की बुनियाद पर होने वाले मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर करोड़ों डॉलर ख़र्च हो रहे हैं। कार्यस्थल पर अपमानजनक रवैये (work-place bullying) और व्यक्तिगत धमकियाँ डिजिटल चैनलों पर तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिससे औसतन हर साल उत्पादकता में 4 से 5 हज़ार डॉलर का नुक़सान होता है। साइबर बुलिंग के शिकार लोगों में आत्महत्या की कोशिश करने की संभावना 3.44 गुना ज़्यादा पाई गई है।

यह सिर्फ़ आँकड़े नहीं हैं, लाखों बर्बाद करियर, आर्थिक उथल-पुथल, बिखरी मानसिक सेहत—ये सब डिजिटल आदत के वही नतीजे हैं जो चीख़-चीख़ कर कह रहे हैं कि जब डिजिटल दुनिया के नियम तोड़े जाते हैं और डिजिटल पड़ोसियों के अधिकारों की अनदेखी की जाती है, तो असली दुनिया भी इसके संकटों से सुरक्षित नहीं रह सकती।

यह आँकड़े एक बुनियादी हक़ीक़त की निशानदेही करते हैं, वह यह कि हमारे डिजिटल पड़ोस के स्तर का सीधा असर न सिर्फ़ हमारे ऑनलाइन अनुभव, बल्कि हमारी शारीरिक सेहत, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक स्थिरता पर भी पड़ता है।

ट्रोलिंग: डिजिटल यातना

डिजिटल स्पेस के सबसे अंधेरे पहलुओं में एक ऐसी दुनिया छुपी है जो अधिकारों की पारस्परिक अवहेलना का नतीजा है—ट्रोलिंग। ट्रोलिंग 1980 और 1990 के दशक में एक तरह की अपेक्षाकृत निर्दोष छेड़छाड़ के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन आज यह एक बुरे व्यवहार का रूप ले चुकी है। आधुनिक ट्रोलर जानबूझकर उकसाने वाले, बुरी नीयत से या अपमानजनक सामग्री के ज़रिए लोगों को निशाना बनाते हैं और उन्हें मानसिक तौर पर नुक़सान पहुंचाते हैं। वे डिजिटल संवाद की गुमनामी और दूरी का फ़ायदा उठाकर ऐसे व्यवहार में शामिल होते हैं, जिससे वे शायद असली ज़िंदगी में बचना चाहेंगे।

हालिया शोध से ट्रोलिंग की विनाशकारी ताक़त की असली गंभीरता का पता चलता है। एक अध्ययन के मुताबिक़, विश्वविद्यालय के 74 प्रतिशत छात्र हफ़्ते में कम से कम एक बार ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार होते हैं, जबकि 13 से 18 साल की उम्र के 42.8 प्रतिशत किशोर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रोल किए जाने की शिकायत करते हैं।

इसके मानसिक असर गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले होते हैं। ट्रोलिंग के शिकार किशोरों में से 67 प्रतिशत में अवसाद (डिप्रेशन) के लक्षण पैदा हो जाते हैं, जिसमें ट्रोलिंग के अनुभव और अवसाद की घटनाओं के बीच मज़बूत संबंध पाया गया है। इसके आर्थिक नतीजे भी हैरान करने वाले हैं। उत्पादकता में कमी, अनुपस्थिति में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य देखभाल पर ख़र्च के कारण संगठनों को हर साल एक लाख डॉलर तक के नुक़सान का सामना करना पड़ता है।

ऑनलाइन सामग्री बनाने वाले, जो आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, ट्रोलिंग की वजह से बड़े पैमाने पर थकान, प्रेरणा की कमी और रचनात्मक अभिव्यक्ति से बचने लगते हैं। कई लोग अपने प्लेटफ़ॉर्म को पूरी तरह छोड़ देते हैं, यह मानवीय

रचनात्मकता और आर्थिक क्षमता का बड़ा नुक़सान है।

शायद सबसे चिंताजनक बात ट्रोलिंग की इंटरनेट पर वायरल होने की स्थिति है। स्टैनफोर्ड और कॉर्नेल विश्वविद्यालयों के शोध से पता चला है कि ट्रोलिंग का व्यवहार संक्रामक (infectious) है, जो डिजिटल समुदायों में एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। ट्रोल पोस्टों का शिकार होने वाले उपयोगकर्ताओं में ख़ुद ट्रोलिंग के रवैये में लिप्त हो जाने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे ऐसे असर पैदा होते हैं जो पूरे ऑनलाइन माहौल को ज़हरीला बना सकते हैं।

अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ख़राब मूड और पहले की ट्रोलिंग का सामना कर चुके व्यक्ति के ट्रोलिंग में शामिल होने की संभावना लगभग दोगुनी हो जाती है। ज़्यादातर लोग किसी न किसी रूप में डिजिटल बुलिंग (digital bullying) का सामना करते हैं। यह फैलकर एक सामूहिक कोशिश बन जाती है, जिसमें सबसे आम ट्रोलिंग रवैया 'लाइक', 'शेयर' और 'री-शेयर' करना होता है, मानो इस तरह ट्रोलिंग की टिप्पणियों का समर्थन और प्रसार किया जा रहा हो। इस सामूहिक ट्रोलिंग से हानिकारक सामग्री का असली अपराधी की बहुत कम कोशिश के साथ बड़े पैमाने पर प्रसार-प्रचार हो जाता है।

डिजिटल यातना देने वालों की मानसिकता

आम लोग डिजिटल यातना देने वाले (digital bully) क्यों बन जाते हैं? मानसिक शोध ऐसे कई अहम कारकों की पहचान करते हैं। इंटरनेट पर चूंकि अनैतिक कृत्य करने वाला व्यक्ति कथित गुमनामी (anonymity) में होता है और उसे लगता है कि उसकी पहचान परदे में रहेगी। यह विश्वास एक ऐसे एहसास को जन्म देता है जिसे मनोवैज्ञानिक disinhibition effect कहते हैं। यानी कि दुष्ट हरकत करने में पहचान ज़ाहिर होने का जो डर था, वह अब नहीं रहा और जैसे ट्रोलिंग करने में यह आख़िरी बाधा भी ख़त्म हो जाती है। इस वजह से एक आम व्यक्ति ऐसे रवैये में शामिल हो जाता है, जिसे शायद असली ज़िंदगी में वह कभी करने का विचार मन में न लाए। ट्रोल और शिकार के बीच पर्दा और दूरी वह मानसिक दूरी पैदा करते हैं जो सहानुभूति और नैतिक संयम को ख़त्म कर देते हैं। अल्लामा इक़बाल के शब्दों में—

है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत
एहसासे-मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात

अध्ययनों से पता चलता है कि ट्रोलर अक्सर इसी कम सहानुभूति (low empathy) का प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से उन्हें ख़ुशी हो सकती है। हालांकि, स्टैनफोर्ड कॉर्नेल के शोध इस विचार को चुनौती देते हैं कि ट्रोलिंग मूल रूप से कोई स्वाभाविक व्यक्तिगत गुण (personality trait) है। उनके नतीजों से पता चलता है कि परिस्थितियाँ- जैसे ख़राब मूड, पहले से ट्रोलिंग का अनुभव और बहस के संदर्भ, आम उपयोगकर्ताओं को भी ट्रोल जैसे व्यवहार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

इस शोध के डिजिटल पड़ोस (digital neighborhood) के लिए गहरे निहितार्थ हैं। अगर ट्रोलिंग व्यक्तिगत गुण से ज़्यादा परिस्थितियों के आधार पर की जाती है, तो प्लेटफ़ॉर्म डिजाइन, समुदाय का संशोधन और सांस्कृतिक नियमों में बदलाव नाटकीय रूप से इसके फैलाव को कम कर सकते हैं। यानी इसका समाधान ऐसा डिजिटल माहौल पैदा करने में निहित है जो इस तरह के विनाशकारी प्रेरकों और रवैयों को प्रोत्साहित करने के बजाय सकारात्मक रवैयों को बढ़ावा दें।

डिजिटल पड़ोसियों के लिए इस्लामी मार्गदर्शन

डिजिटल ख़राबी की इस अफ़रातफ़री में, इस्लाम नैतिक व्यवहारों के लिए एक व्यापक ढांचा पेश करता है जो हमारी समसामयिक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। पड़ोसी के अधिकारों के बारे में क़ुरआन में सूरह निसा की आयत 36 डिजिटल समुदायों के लिए भी एक उज्ज्वल सिद्धांत प्रदान करती है —

"और अल्लाह ही की बंदगी करो और किसी चीज़ को भी उसके साथ शरीक न ठहराओ, और माँ-बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, और रिश्तेदारों, अनाथों और ज़रूरतमंदों के साथ, और रिश्तेदार पड़ोसी और अजनबी

पड़ोसी के साथ, और अपने साथ रहने वाले साथी और मुसाफ़िर के साथ अच्छा व्यवहार करो।" क़ुरआन, 4:36

यह ईश्वरीय आदेश निकट और दूर के पड़ोसियों के लिए सामाजिक ज़िम्मेदारी का एक क्रम (Hierarchy) निर्मित करता है। हमारे डिजिटल दौर में, हमारे "क़रीबी पड़ोसी" ऑनलाइन वर्क ग्रुपों में वे लोग हो सकते हैं जिनसे हमारा सामना ज़्यादा होता है, जबकि "दूर के पड़ोसी" में वे व्यापक समुदाय शामिल हैं जिनके साथ हम कभी-कभार सोशल प्लेटफ़ॉर्मों पर जुड़ते हैं। इस्लाम ने पड़ोसी के साथ अच्छे बर्ताव के ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो आज ट्रोलिंग और डिजिटल उत्पीड़न (Digital Harassment) के संकटों का समाधान हैं। एक हदीस में कहा गया —

"अल्लाह की क़सम, वह व्यक्ति मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसके बुरे आचरण से सुरक्षित न हो।"

यह ताकीद इस बात को दिखाती है कि इस्लाम इंसानों को दूसरों इंसानों की बुराई से बचाने को कितनी अहमियत देता है। डिजिटल माहौल में भी यह सिद्धांत समान रूप से लागू होता है। एक और हदीस में इस बात को पुष्ट करते हुए फ़रमाया गया —

"वह व्यक्ति जन्नत में दाख़िल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसके बुरे आचरण से सुरक्षित न हो।"

क़ुरआन उन रवैयों पर कड़ी पकड़ करता है जिनसे आधुनिक ट्रोलिंग पोषण पाता है। सूरह हुजुरात में अल्लाह का फ़रमान है:

"ऐ ईमान लाने वालो! न मर्दों का कोई गिरोह दूसरे मर्दों का मज़ाक उड़ाए, हो सकता है वे उनसे बेहतर हों। और न औरतें दूसरी औरतों का मज़ाक उड़ाएं, क्या पता वे उनसे बेहतर निकलें।" क़ुरआन, 49:11

यह आयत सीधे तौर पर ट्रोलिंग के रवैये के मूल तत्वों से रोकती है —

- उपहास या मज़ाक उड़ाना : उकसाने या भड़काने के लिए दूसरों मज़ाक उड़ाना।
- अपमान : दूसरों के चरित्र या साख़ पर हमला करना।
- बुरे उपनामों से पुकारना: दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपमानजनक उपनामों प्रयोग करना।

उपहास, अपमान और बुरे उपनामों से पुकारने का यह रवैया— चाहे शब्दों ज़रिए हो या इशारों, नक़ल आदि के ज़रिए, उसका आम नतीजा दूसरों को दुख पहुँचाता है और उन्हें तुच्छ ठहराता है। इसका मूल स्वभाव अहंकार है, यानी ख़ुद को दूसरों से बेहतर मानना। पवित्र क़ुरआन ने इसकी तरफ़ एक गहरा इशारा दिया है —

"हो सकता है वे तुमसे बेहतर हों।" (क़ुरआन, 49:11)। मानो यह आयत ट्रोलिंग करने वालों की श्रेष्ठता की मानसिकता को चुनौती देती है।

इस्लामी दृष्टिकोण से ज़बानी ज़्यादती और शारीरिक हिंसा की गंभीरता में बहुत अंतर नहीं है। एक हदीस में है —

"किसी मोमिन पर लानत करना उसे क़त्ल करने के बराबर है।" (हदीस बुख़ारी और मुस्लिम)

इस हदीस की तुलना आधुनिक मनोविज्ञान की उस मान्यता से की जा सकती है कि कभी-कभी इंसान के शब्द शारीरिक चोटों से भी अधिक लंबे समय तक नुक़सान पहुँचाते हैं।

एक और हदीस से डिजिटल व्यवहार के लिए मार्गदर्शन मिलता है —

"मोमिन न तो ताने देने वाला होता है, न लानत करने वाला, न गाली देने वाला, और न बुरी ज़बान वाला।" (हदीस)

मज़ाक करते समय भी ईमान वालों को ऐसी भाषा से बचना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ़ या नुक़सान पहुँचने की संभावना हो या उसका अपमान हो। ऊपर की चर्चा से डिजिटल पड़ोस के लिए एक स्पष्ट सिद्धांत निकलता है :—

एक सच्चे मोमिन के लिए ज़रूरी है कि उसके ऑनलाइन पड़ोसी डिजिटल नुक़सान से सुरक्षित रहें। यह नुक़सान किसी भी रूप में हो सकता है— ट्रोलिंग, उत्पीड़न, डिजिटल माध्यमों से दूसरों का दिल दुखाना या तकलीफ़ पहुँचाना, निजता का उल्लंघन या ग़लत सूचनाओं का प्रसार। ■■

संस्मरण

मेरे मददगार पड़ोसी

ग़ज़ाला परवीन

इंसान एक सामाजिक प्राणी है। उसका अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के अलावा सबसे अधिक ताल्लुक़ अपने पड़ोसियों से होता है। उसके चैन-सुकून पर बहुत हद तक पड़ोस भी ज़िम्मेदार होता है। इंसान और समाज एक-दूसरे के पूरक हैं। दुनिया का हर इंसान एक-दूसरे की मदद का मोहताज है। कोई ख़ुशी हो या ग़म, सबसे पहले पड़ोसी ही हमारे शरीक होते हैं। हमारे सगे बहन-भाई भी हमसे दूरी पर होते हैं। हर समय हमारे काम में आने वाले सबसे पहले पड़ोसी ही होते हैं।

पड़ोस अगर अच्छा हो तो इंसान की ज़िन्दगी में खुशियों और सुकून में बढ़ोतरी होती है। पड़ोसी अगर अच्छे न हों तो इंसान की ज़िन्दगी में बेवजह तनाव सा रहता है। हर वक़्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई अनहोनी बात न हो जाए। इसलिए पड़ोस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है।

मैं जब शादी होकर दिल्ली आई तो कुछ वर्ष हम लोग किराए के घर में रहे। बहुत परेशानियाँ उठाईं और फिर अलहम्दुलिल्लाह मुझे घर नसीब हुआ। यह एक नई बसती हुई आबादी थी, न सड़कें थीं, न पीने का पानी, न बिजली। इस जगह लोगों ने प्लॉट ख़रीद कर हदबंदी कर रखी थी और अधिकतर झुग्गियाँ ही थीं। कुछ ही घर पक्के बने हुए थे। उनमें से दो घरों में आना-जाना शुरू हुआ। रस्मी दुआ-सलाम और कुछ मुलाक़ातों के बाद हम लोग जल्द ही एक-दूसरे के क़रीब आ गए। दोनों पड़ोसी भले मानुष थे। एक तो जामिया यूनिवर्सिटी में दोनों पति-पत्नी नौकरी करते थे, रहने वाले रामपुर के थे। दूसरे पड़ोसी फ़िरोज़ाबाद के थे, एक नौजवान लड़का जो जामिया में शिक्षा प्राप्त कर रहा था, अपनी बहन के साथ रहता था। दोनों बहन-भाई निहायत नेक और शरीफ़ थे।

क्योंकि आबादी नई बस रही थी, इसलिए बहुत सी कठिनाइयाँ थीं। सड़क की तो परेशानी थी ही, साथ ही साथ बिजली और पीने के पानी की भी बहुत कमी थी। जैसे अब दिल्ली में जगह-जगह आवाज़ देकर आर.ओ. का पानी बिकता है, पहले ऐसा नहीं था। बहुत दूर-दूर से पीने का पानी लाना पड़ता था। क्योंकि सड़क कच्ची और ऊबड़-खाबड़ थी, तो कोई रिक्शेवाला भी उधर जाने से मना कर देता था। कभी-कभी रात में पानी की लाइन लगानी पड़ती थी। उस वक़्त मेरे बच्चे छोटे थे। जब भी मैं लाइन में लगती तो मेरे पड़ोस का वह लड़का मेरी पानी की कैन अपनी स्कूटी पर रखकर मेरे घर पहुँचा देता।

जब कभी हमारे घर बिजली ख़राब हो जाती तो वह अक्सर ठीक कर देता। इस तरह हमारे घर के बिजली के छोटे-मोटे काम कर दिया करता। उस समय हमें बड़ी आसानी हो जाती। मेरे दूसरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे थे। जब कभी मेरे बच्चे बीमार होते तो वह और उनकी पत्नी मेरी हर तरह से सहायता करते।

एक बार मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया और वह कई दिन अस्पताल में भर्ती रहा। वह दोनों पति-पत्नी खाना लेकर अस्पताल पहुँचते और मेरे बड़े बेटे का बहुत ध्यान रखते। जब कभी हम लोग दिल्ली से बाहर जाते तो वे रात में मेरे घर पर ही सोते और मेरे पौधों में पानी भी डालते।

हम दोनों महिलाओं में अब ख़ूब दोस्ती हो गई थी। एक-दूसरे को सगी बहनों की तरह चाहने लगे थे। मैं अपनी हर बात उससे शेयर करती और वह मुझसे। फिर मिलकर कोई न कोई उपाय ढूँढ लेते।

मैंने शादी के बाद जामिया से बी.एड. करने का इरादा

किया तो उन दोनों ने मेरी बहुत सहायता की। मुझे सिलाई करना बहुत अच्छी आती थी। मैं उनके कपड़े सीकर देती। उनका स्कूल दोपहर का था, दोनों जल्दी-जल्दी काम निपटा कर सिलाई करते। नए-नए डिज़ाइन के कपड़े, कुशन, सोफे और परदे बनाते। समय कब पंख लगाकर उड़ गया, पता ही न चला।

बी.एड. करने के बाद मैंने भी नौकरी शुरू कर दी थी। अब हम लोग हफ़्ते-इतवार को ही मिल पाते थे। बच्चे अब बड़े हो गए थे, मगर मैं अगर कुछ अच्छा पकाती तो उनके बग़ैर न खाती। वे जब कुछ विशेष बनातीं तो मेरे बग़ैर न खातीं।

मैंने जब अपने बेटे का निकाह किया तो बहुत सादगी से किया। उसमें सिर्फ़ मेरे और मेरे पति के बहन-भाई ही शरीक थे। तो मैंने उन्हें बहनों की तरह शरीक किया। हमेशा उनके घर में मेरा बहनों की तरह रहना-सहना रहा और मेरे घर में उनका। मेरे ससुर कई बरसों तक बीमार रहे, वे दोनों हमेशा उनका हाल-चाल पूछने आते रहे। मेरा भाई बीमार हुआ, अचानक उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तब भी ये लोग अस्पताल में बराबर उसकी ख़ैरियत मालूम करने आए, और जब छुट्टी होकर अपने घर वापस आया तब भी उसके घर जाकर उसकी ख़ैर-ख़बर लेते रहे।

कई बरसों की बीमारी के बाद मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। जैसे ही उन्हें ख़बर लगी, सुबह फ़ज्र में ही मेरे पास आ गईं। थोड़ी ही देर में उनका छोटा बेटा और शौहर चाय-नाश्ता ख़ुद बनाकर हम सब लोगों के लिए लाए और अपने हाथों से सबको खिलाया। शाम के खाने का भी इंतज़ाम किया। हालाँकि अब उनका घर हमारे घर से काफ़ी दूर था। तदफ़ीन के बाद भी तक़रीबन एक हफ़्ते तक रोज़ाना हमारे घर दोनों मियाँ-बीवी आते और हमें तसल्ली देते।

हम दोनों के घर अब दूर-दूर हो गए हैं, लेकिन आज भी एक-दूसरे के सुख-दुःख में हर वक़्त शरीक हैं। अल्लाह उन दोनों पति-पत्नी को हमेशा खुश और आबाद रखे और उनकी तथा उनके बच्चों की तमाम नेक ख़्वाहिशें पूरी करे। आमीन। ■■

लघुकथा

एक माँ की मदद का रहस्य

"माँ, जब हमारे घर में चीनी है, तो आपने चाची हलीमा से क्यों माँगा?"

अबोध आयशा के सवाल पर सालेहा बेगम मुस्कुराईं, पर खामोशी रहीं। उनकी खामोशी ने आयशा की जिज्ञासा और बढ़ा दी। उन्होंने आगे कहा, "पिछले गुरुवार को भी, आपने उनसे नमक का कटोरा उधार लिया था, जबकि हमारा किचन नमक से भरा था। तुम उनसे वो चीज़ें क्यों माँगती रहती हो, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है?"

अपनी बेटी की ज़िद देखकर सालेहा बेगम ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहीं, "मैं तुम्हें बताऊँगी, लेकिन तभी जब तुम इसे राज़ रखने का वादा करोगी।" आयशा ने सहमति में सिर हिलाया।

सलेहा बेगम ने फिर बताया, "मेरी बच्ची, जब से चाचा जी का देहांत हुआ है, तब से चाची हलीमा और उनका परिवार बहुत मुश्किलों से जूझ रहा है। उनके बेटे की नौकरी चली गई है, और उनके लिए रोज़मर्रा के खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। लगभग हर दूसरे दिन उन्हें घर के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है। वो मदद के लिए मेरे पास आती हैं, लेकिन उन्हें माँगने में बहुत शर्म और शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए मैं कभी-कभी उनसे छोटी-मोटी चीज़ें जैसे चीनी, नमक या दूसरी चीज़ें उधार ले लेती हूँ, ताकि जब वो अपनी ज़रूरतें लेकर मेरे पास आएँ तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस न हो। इस तरह, उन्हें पता रहता है कि हम दोनों अपनी बातें साझा करते हैं, और बातचीत के दौरान मुझे यह भी पता चल जाता है कि कहीं वो ज़्यादा परेशानी में तो नहीं हैं। इससे हमें उनकी बेहतर तरीके से मदद करने करने का मौक़ा मिल जाता है।"

आयशा दंग रह गई। उसने कभी इस तरह मदद करने के बारे में सोचा भी नहीं था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मदद का मतलब सिर्फ़ आर्थिक मदद देना नहीं है। सच्ची दयालुता का मतलब है किसी की गरिमा की रक्षा करना, उसकी झिझक दूर करना और ज़रूरत के समय में भी उसे अपनी मर्यादा का एहसास बना रहना। ■■

दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर

अंतिम हज का संबोधन

अपने अंतिम हज के अवसर पर पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने सवा लाख अनुयायियों के समक्ष जो महत्वपूर्ण भाषण दिवा था, वह हदीस की पुस्तकों में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यह आदेश-निर्देश मानवाधिकारों का ऐसा चार्टर है जिसका उदाहरण पहले तो क्या आज भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसकी विशेषता यह है कि यह समाज में पूरे तौर पर लागू हुआ। इस महत्वपूर्ण भाषण का सार प्रस्तुत है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा- "लोगो! मेरी बात ध्यान से सुनो, हो सकता है इस वर्ष के बाद इस स्थान पर मैं तुम से कभी न मिल पाऊं। अज्ञानकाल की समस्त रीतियां मेरे पैर के नीचे हैं (अर्थात् निरस्त कर दी गयी हैं), लोगो! तुम सबका प्रभु एक है और बाप भी एक है। किसी अरब वाले को किसी ग़ैर-अरब पर बड़ाई नहीं, न किसी गोरे को काले पर, बड़ाई केवल परहेज़गारी के आधार पर है।

हर मुसलमान दूसरे का भाई है, लोगो! तुम्हारी जान और माल एक-दूसरे पर हराम हैं। जिस प्रकार यह (हज का) दिन है, यह महीना है और वह नगर (मक्का) है। (अर्थात् जान-माल को हानि पहुंचाना निषिद्ध है)

अपराधी अपने अपराध के लिए स्वयं ज़िम्मेदार है, उसके पिता या पुत्र से बदला नहीं लिया जाएगा।

तुम्हारे ग़ुलाम-तुम जो स्वयं खाओ वही उनको खिलाओ, जो स्वयं पहनो यही उनको पहनाओ।

अज्ञानकाल के हत्या के समस्त प्रकरण (जिसमें बदला लेने का चक्र चलता था) निरस्त किये जाते हैं। ब्याज के सभी अनुबंध समाप्त किये जाते हैं, हां अपना मूलधन प्राप्त करने के तुम अधिकारी हो। सबसे पहले में अपने ही परिवार के अब्बास-बिन-अब्दुल मुत्तलिब का सूद ख़त्म करता हूं।

ऐ लोगो! तुम अपनी पत्नियों पर अधिकार रखते हो और वे भी तुम पर अधिकार रखती हैं। तुम्हारी ओर से उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे तुम्हारे बेडरूम (शयनकक्ष) में किसी ग़ैर को न आने दें, क्योंकि यह तुम्हें सहन नहीं है और उन पर स्वयं भी अनिवार्य है कि वे अश्लीलता का कोई कार्य न करें। मैं औरतों के बारे में तुम्हें वसीयत करता हूं कि उनके साथ भला व्यवहार करो।

ऐ लोगो! मेरे बाद कोई संदेष्टा नहीं और न ही तुम्हारे बाद कोई नई उम्मत (समुदाय) पैदा होगी, इसलिए अपने प्रभु पालनहार की उपासना करो, पांचों समय की नमाज़ पढ़ो, रमज़ान मास के रोज़े रखो, अपने माल में से शुद्ध मन से ज़कात दो, अपने प्रभु के घर का दर्शन (हज) करो और अपने अमीर (इस्लामी शासक) का आज्ञापालन करो ताकि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। यदि कोई नक्टा हब्शी अमीर हो और वह ईश्वर के ग्रंथ (क़ुरआन) के अनुसार चले तो उसकी बात सुनो और आज्ञापालन करो।

मैं तुम्हारे बीच ऐसी चीज़ छोड़ रहा हूं कि यदि तुम उसे मज़बूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते—वह है अल्लाह की किताब (क़ुरआन) और मेरी सुन्नत (हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का व्यवहार जो हदीस के रूप में सुरक्षित है)।"

अंत में निर्देश दिया कि उपस्थित जन इन उपदेशों को उन लोगों तक पहुंचा दें जो यहां उपस्थित नहीं हैं। ■■

हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के सम्बन्ध में उल्लिखित है! उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं उनमें से किस को उपहार भेजूँ? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया, "उनमें से जिसका दरवाज़ा तुमसे निकटतम हो।"

(अल-अदबुल-मुफ़रद, किताबुल-जार, हदीस-107)

with best compliment from / **Ania Khan (Mapusa Goa)**

KANTI Monthly, New Delhi
December 2025
Posted on 20-21 November 2025
Published on 18 November 2025
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 52

(An ISO 22000:2005 Certified Company)

OCEANS SECRET

INDIA'S LEADING
CANNED FOOD BRAND

- TUNA
- SARDINES
- MACKEREL



www.oceanssecret.in | info@seahath.com | Follow Us: oceanssecret | SHOP ONLINE @ amazon

SEAHATH CANNING CO. Plot - 8, Margao Industrial Estate, Curtorim, GOA, INDIA - 403 709 **CUSTOMER CARE : 0832-2860412**